प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

04/07/2024 को निर्णय हेतु सुरक्षित

18/07/2024 को निर्णय उद्घोषित

आयकर अपील क्रमांक 6/2005

1. आयकर उपायुक्त (निर्धारण) विशेष रेंज
भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

————————अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जैन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी
   1) श्रीमती पूनम जैन (पत्नी) पत्नी स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65
   2) सूश्री गीतिका जैन (पुत्री) पुत्री स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

——————————उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आयकर अपील क्रमांक 7/2005

1. आयकर उपायुक्त (निर्धारण) विशेष रेंज
भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

————————अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जैन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी
   1) श्रीमती पूनम जैन (पत्नी) पत्नी स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65
   2) सूश्री गीतिका जैन (पुत्री) पुत्री स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

——————————उत्तरवादी

आयकर अपील क्रमांक 8/2005

1. आयकर उपायुक्त (निर्धारण) विशेष रेंज
भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

————————अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जैन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी

   1) श्रीमती पूनम जैन (पत्नी) पत्नी स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

   2) सूश्री गीतिका जैन (पुत्री) पुत्री स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

———————**उत्तरवादी**

<u>आयकर अपील कमांक 9/2005</u>

1. आयकर उपायुक्त (निर्धारण) विशेष रेंज

   भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

———————**अपीलार्थी**

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जैन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी

   1) श्रीमती पूनम जैन (पत्नी) पत्नी स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

   2) सूश्री गीतिका जैन (पुत्री) पुत्री स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

———————**उत्तरवादी**

<u>टैक्स सी कमांक 28/2010</u>

1. आयकर उपायुक्त (निर्धारण) विशेष रेंज

   भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

———————**अपीलार्थी**

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जैन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी

   1) श्रीमती पूनम जैन (पत्नी) पत्नी स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

   2) सूश्री गीतिका जैन (पुत्री) पुत्री स्व. एस.के. जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी–5, महारानी बाग, श्रीनिवासपुरी, पुलिस थाना दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली – 65

———————**उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी (राजस्व) द्वारा	श्री ऋषभ देव सिंह, सुश्री ज्योति सिंह और सुश्री श्वेता राय अधिवक्ता के साथ श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल,
उत्तरवादी (निर्धारिती) द्वारा	श्री वैभव शुक्ला, सुश्री आस्था शुक्ला, श्री हिमांशु यदू, श्री रोहित जैन, श्री अनिकेत डी. अग्रवाल एवं श्री अभिषेक सिंघवी अधिवक्ता के साथ श्री अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता (वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा)

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादूड़ी एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल

CAV निर्णय

न्यायमूर्ति गौतम भादूडी द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्धारिती द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) {संक्षिप्त में 'the CIT (A)'} द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयकर अपील अधिकरण, नागपुर (संक्षिप्त में 'the ITAT') के समक्ष पांच अपीलें दायर की गई, जिसमें सामान्य विवाद्यक शामिल था, इसलिए समस्त अपीलों पर ITAT द्वारा समेकित रूप से सुनवाई करते हुए समेकित आदेश दिनांक 31/08/2004 द्वारा निराकृत किया गया, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। जबकि राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज कर दिया गया। ITAT द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपीलें प्रस्तुत की गई है तथा निर्धारिती द्वारा प्रति अपील प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि समस्त अपीलें ITAT द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/08/2004 से उद्भूत है, इसलिए प्रति आपत्ति के साथ उस पर एकसाथ सुनवाई किया जाकर इस सामान्य आदेश के द्वारा एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

3. तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने तथा सुविधा के लिए आयकर अपील क्रमांक 6/2005 में संलग्न दस्तावेजों को संदर्भित किया जा रहा है।

4. मामले का तथ्य इस प्रकार है :

अ) निर्धारण वर्ष 1988—89, 1989—90, 1990—91, 1991—92 एवं 1992—93 के संबंध में सुरेन्द्र कुमार जैन (वर्तमान में मृत) द्वारा प्रारंभ में विवरणी दाखिल किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर आयकर अधिनियम 1961 (संक्षिप्त में 'the IT Act') की धारा 143(1)(ए) के तहत् सूचना जारी किया गया।

ब) मूल निर्धारिती को मेसर्स भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में वेतन, उस फर्म से लाभांश जिसका वह भागीदार है तथा अन्य श्रोतो से आय प्राप्त हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (संक्षेप में 'the CBI') द्वारा दिनांक 03/05/1991 को जे.के. जैन के दिल्ली स्थित आवासीय परिसर में तलाशी और जप्ती की कार्यवाही की गई, जो मेसर्स बीईसी इम्पेक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड में एक कर्मचारी था, जिसमें निर्धारिती भी निदेशक था। तलाशी कार्यवाही के दौरान 58.5 लाख रूपये की भारतीय मुद्रा के अलावा कुछ दस्तावेज और विदेशी मुद्रा भी मिली। इसके अलावा शंभूदयन शर्मा नामक हवाला ऑपरेटर के बारे में भी पता चला, जिसने कथित तौर पर धनराशि का लेनदेन किया था। CBI द्वारा जप्त दस्तावेजों की छायाप्रति फरवरी 1994 में आयकर विभाग को जांच और अन्वेषण के लिये सौंप दी गई। इसके बाद शेष जप्त दस्तावेजों को CBI ने आयकर निदेशालय (अन्वेषण) {संक्षिप्त में 'the DIT (Inv.)'}, नई दिल्ली को फरवरी 1995 में सौंप दिया,

जो DIT (Inv.) द्वारा IT Act की धारा 132 A के तहत् जारी प्राधिकरण वारंट के जवाब में था, DDIT (Inv.) द्वारा IT Act की धारा 131 के तहत् दिनांक 02/03/1995 को लेखबद्ध जे.के. जैन का कथन, DDIT (Inv.) दिल्ली द्वारा DCIT (आयकर उपायुक्त) विशेष रेंज भिलाई, जो पुर्ननिर्धारण कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्धारण अधिकारी (संक्षिप्त में 'the AO') है, को भेजा गया पत्र था। सुसंगत जप्त दस्तावेजों और कागजात का सेट दिनांक 01/03/1995 को आयकर आयुक्त (CIT) जबलपुर को भेज दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द) भिलाई में AO को जो दस्तावेज मिले उसमें एक सर्पिल बाउंड डायरी भी शामिल था, जिस पर MR-71/91 अंकित था। उक्त डायरी में कुछ रसीदें और धन के वितरण का विवरण दर्ज पाया गया। जे.के. जैन जिनके कब्जे से उक्त डायरी मिली थी, का बयान CBI के साथ Additional DIT (Inv.) नई दिल्ली द्वारा भी लेखबद्ध किया गया था तथा AO के अनुसार जे.के. जैन के कब्जे में पाई गई उक्त डायरी निर्धारिती एस.के. जैन की थी और निर्धारिती के निर्देशानुसार संधारित थी।

ई) तत्पश्चात् उच्च पदाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए। उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर IT Act की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1988—98 से 1992—93 के लिए AO द्वारा नोटिस जारी किए गए।

फ) IT Act की धारा 143(3) सहपठित धारा 147 के तहत् कार्यवाही पूर्ण की गई और अधोनुसार आय का निर्धारण किया गया :

निर्धारण वर्ष	निर्धारित आय
1988-89	44,39,320=00
1989-90	2,58,94,870=00
1990-91	24,35,06,300=00
1991-92	23,69,02,210=00
1992-93	5,94,40,840=00

ग) निर्धारण आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही की वैधता सहित विभिन्न आधारों पर CIT (A) के समक्ष अपील किया। CIT (A) ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् AO द्वारा धारा 139(8) एवं धारा 217 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1988–89 के ब्याज के अधिरोपण संबंधित निर्धारिती के पक्ष में अनुतोष को स्वीकार करते हुए, IT Act की धारा 143(3) सहपठित धारा 147 के तहत् पारित आदेश को समस्त वर्षों के लिए बरकरार रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ह) CIT (A) के आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए अपील दायर किया तथा राजस्व की ओर से भी निर्धारण वर्ष 1988–89, जिसका ITA No. 585/Nag/97 है, के संबंध में प्रति अपील दायर किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और सामग्रियों पर विचार करते हुए ITAT ने यह अवधारित किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च प्राधिकारियों के निर्देश पर विवेक का प्रयोग किए बगैर निर्धारण पूर्ण कर लिया गया जबकि ITAT ने पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने की निर्धारिती के तर्क को भी खारिज कर दिया तथा यह अवधारित किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च प्राधिकारी के निर्देश अनुसार पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप निर्धारण

वर्षो में किए गए निर्धारण को रद्द कर दिया गया, यद्यपि पुर्ननिर्धारण को बरकरार रखा गया।

ग) ITAT द्वारा दिनांक 31/08/2004 को पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व ने IT Act की धारा 260-A के तहत् वर्तमान अपील प्रस्तुत की है जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13/12/2013 को अधोनुसार सारवान विधिक प्रश्न की विरचना किया गया –

> i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देश पर पारित किया गया कहा जा सकता है ;
>
> ii) यदि यह मान भी लिया जाए कि आदेश, उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश पर पारित किया गया था, तो क्या न्यायाधिकरण द्वारा आदेश को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसे आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश द्वारा अनुमोदित एवं मान्य किया गया है ;
>
> iii) क्या न्यायाधिकरण द्वारा पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने को बरकरार रखते हुए, मामलें को नये सिरे से निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारी को प्रति प्रेषण कर वापस नहीं भेजने में विधिक रूप से उचित था।

तथा निर्धारिती की ओर से दिनांक 08/07/2014 को दायर की आपत्ति के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17/09/2014 को अधोनुसार सारवान विधिक प्रश्न की विरचना किया गया –

> 1) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 147/148 के अंतर्गत पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने को बरकरार रखते हुए विधिक त्रुटि की है ?

5. (i) राजस्व द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि यद्यपिITAT द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश/अनुदेश के अनुसार निर्धारण किया जाना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलिखित किया गया है, किन्तु निर्धारण नस्ती, आदेश पत्रावली एवं विश्लेषण के अवलोकन से ऐसा किया जाना दर्शित नहीं होता है। उन्होंने आगे यह भी व्यक्त किया कि आयकर विभाग में विभिन्न शाखाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से और कभी–कभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि यह बिल्कुल सामान्य बात है कि अधिकारियों द्वारा जानकारी एक विंग से दूसरे विंग तक पहुंचाई जाती है, जो यह दिखाने के लिए प्रेरित नहीं करता है कि AO उच्चाधिकारियों के निर्देश पर काम कर रहा था।

(ii) विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि AO को आयकर विभाग का अभिन्न अंग होने के नाते स्कूटनी कार्यवाही के दौरान सत्यापन हेतु निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का संज्ञान लेना होता है तथा वर्तमान मामले में CBI द्वारा तलाशी के दौरान एकत्रित किए गए सामग्री, जो हवाला के माध्यम से भारत में किए गए धन के हस्तांरण से संबंधित था, के आधार पर पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई थी, इसलिए जब तक उच्च स्तर पर ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती या प्रेषित नहीं की जाती तथा समन्वय स्थापित नहीं किया जाता, तब तक विभाग कार्यवाही नहीं कर सकता तथा हस्तगत प्रकरण में ऐसा ही हुआ है।

(iii) विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि ***विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*** [1] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी एजेंसियों को प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध प्रत्येक आरोप की निष्पक्ष, उचित एवं पूर्ण जांच करने का निर्देश दिया गया तथा सभी एजेंसियों को जांच के मामले में हुई प्रगति के बारे में उच्चतम न्यायालय को समय पर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया

---

1 WP(Cri.) No.340-343 of 1993 (dated 30-1-1996)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, इस तरह CBI एवं आयकर विभाग की संपूर्ण कार्यवाही की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही थी। उक्त परिस्थिति में AO, जो घटनाक्रम का संज्ञान ले रहे था, को जानकारी एकत्र करने की तथा उच्चाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने की आवश्यकता थी। इस तरह अधिकारियों के मध्य समन्वय का पत्राचार किया गया और कोई अनुमान या आशंका नहीं रह जाती है तथा निर्धारण को उच्चअधिकारियों के आदेश/अनुदेश पर पूर्ण किया जाना नहीं कहा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि ITAT द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है तथा अनुमान के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी व्यक्त किया है कि चूंकि पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही हवाला लेनदेन पर आधारित कार्यवाही थी, तथा आयकर अधिनियम के अनुसार अन्य प्राधिकारियों के साथ समानांतर कार्यवाही चल रही थी, इसलिए विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा की गई समानांतर कार्यवाही को पुर्ननिर्धारण कार्यवाही के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। परिणामस्वरूप, परिस्थितियां स्वयं यह दर्शाती है कि निर्धारण को किसी विशेष तरीके से निर्धारित करने के लिए किसी निर्देश का कोई दृष्टांत नहीं है।

(v) विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि AO उच्च अधिकारियों के निर्देश/अनुदेश पर कार्यवाही कर रहा था तो ITAT के पास एकमात्र रास्ता यह था कि मामले को नए सिरे से निर्धारण करने के

लिए AO को प्रति प्रेषित कर दिया जाए और पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने संबंधित प्रश्न की अंतिमता हो जाती तथा पुर्ननिर्धारण संबंधी निर्देश को उच्च अधिकारियों के अनुदेश के अनुसार किया जाना नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि यदि यह पाया जाता है कि ITAT द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पत्राचार के आधार पर गुणदोष के आधार पुर्ननिर्धारण आदेश के संबंध में विचार करना उचित हो सकता है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात की जा सकती थी तो ITAT को तथ्यात्मक निष्कर्ष देने से पहले गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए था तथा वैकल्पिक रूप से मामले को नए सिरे से निर्धारण करने के लिए AO को वापस भेज देना चाहिए था। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि वर्तमान मामले में प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में निर्धारिती द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है बल्कि इसके विपरीत आपत्ति उठाई गई है और कर निर्धारण के लिए पुर्ननिर्धारण कार्यवाही को आगे बढ़ाने से परहेज किया गया है। ऐसी स्थिति में AO द्वारा किए गए वृद्धि को रद्द करने के बजाय उसे बरकरार रखा जाना चाहिए था।

(vi) विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अधिकारिता का अभाव तथा AO द्वारा शक्ति/क्षेत्राधिकार के अनियमित प्रयोग के मध्य अंतर है। यदि AO द्वारा प्रयोग किया गया क्षेत्राधिकार उचित माना जाता है तथा पुर्ननिर्धारण कार्यवाही को वैध माना जाता है तो ए.ओ. द्वारा पारित आदेश को किसी तरह की कल्पना से रद्द नहीं किया जा सकता है तथा आदेश को केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि इसमें क्षेत्राधिकार का अभाव था। वर्तमान मामले में निश्चित तौर पर AO के पास संपूर्ण क्षेत्राधिकार था, इसलिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधिक प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया जाना आवश्यक है।

(vii) विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में ***उमर सले मोहम्मद सैत बनाम आयकर आयुक्त*** [2] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, ***एस.के. गुप्ता एंड कंपनी बनाम आयकर एवं अन्य*** [3] के मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा ***आयकर आयुक्त बनाम भरत कुमार मोदी एवं अन्य*** [4] के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए व्यक्त किया गया है कि जब तथ्य संबंधित निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जा सकता है तो क्षेत्राधिकार के संदर्भ में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब यह अटकलों और अनुमानों या सुसंगत साक्ष्य की अनुचित अस्वीकृति पर आधारित हो। इसके अलावा इलाहबाद उच्च न्यायालय ने **एस.के. गुप्ता एंड कंपनी (उपरोक्त)** में अवधारित किया है कि जब AO के पास धारा 147 के तहत् यह विश्वास करने का कारण है कि कोई कर योग्य आय किसी निर्धारण वर्ष में छूट गई है, तो वह ऐसी आय का निर्धारण या पुर्ननिधारण कर सकता है, AO के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए तथा धारा 148 की उपधारा (2) में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 147 के तहत् प्रस्तावित निर्धारण/पुर्ननिर्धारण के लिए नोटिस जारी करने से पहले AO ऐसा करने का कारण अभिलिखित करेगा, चूंकि हस्तगत मामले में कारण अभिलिखित किया गया है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

(viii) भरत कुमार मोदी (उपरोक्त) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए यह व्यक्त किया है कि जब निर्धारिती को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

2 (1959) 37 ITR 151 (SC)
3 (2001) 165 CTR (All) 565 = (2000) 246 ITR 560 (All)
4 (2000) 164 CTR (Bom) 273 = (2000) 246 ITR 693 (Bom) = (2000) 113 TAXMAN 386 (Bom)

सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है तो कर निर्धारण को पूरी तरह से निरस्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है तथा यद्यपि कुछ त्रुटि हुई भी हो तो भी संपूर्ण कर निर्धारण आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए विधिक प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने ***पुलिस आयुक्त बॉम्बे बनाम गोरधन दास भानजी*** [5] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है। उन्होंने व्यक्त किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में अधिक से अधिक मामले को प्रति प्रेषित किये जाने की आवश्यकता है।

6. (अ) इसके विपरीत निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि ITAT ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं सामग्री के अवलोकन के बाद आदेश पारित किया है, जो केवल यह दर्शाता है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश/अनुदेश पर पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही पूरा किया गया है, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने व्यक्त किया कि पुर्ननिर्धारण कार्यवाही भी उच्च अधिकारियों के निर्दश पर की गई थी, जो नहीं किया जा सकता था। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि AO द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश/अनुदेश से प्रभावित हुए बगैर स्वयं के स्वतंत्र विवेक से निर्धारण आदेश पारित किया जाना चाहिए तथा किसी उच्चतर प्राधिकारी के निर्देश पर पारित आदेश आरंभतः अवैध व शून्य होगा।

(ब) विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि ITAT ने राजस्व के पत्राचार को अभिलेख में रखने का निर्देश दिया था और जब उसे प्रस्तुत किया गया तो ITAT इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती के मामले से संबंधित कार्यवाही

---

5 1951 SCC OnLine SC 70

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अवैध रूप से संचालित की गई थी और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावित थी, जिनके पास विधि के तहत् ऐसा करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। विभिन्न तिथियों का उल्लेख करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया है कि AO द्वारा उसके आदेश दिनांक 30/03/1995 के अनुसार IT Act की धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और यह केवल उस जप्त दस्तावेजों के अंश पर आधारित था, जो DDIT (Inv.) द्वारा सुसंगत माना गया था तथा दिनांक 20/03/1995 के उपरोक्त पत्र में AO को पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दे दिया गया था, इसलिए AO के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके विपरीत AO, जो अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है और जिससे स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया जाना अपेक्षित है, के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(स) विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि विवरणी आपत्ति के साथ जून 1995 में दाखिल किया गया था और जप्त दस्तावेजों के साथ किसी भी कार्यवाही या संबंध के बारे में पूरी तरह से इंकार किया गया था। इसके बाद दिल्ली स्थित अन्वेषण विभाग ने अवैध रूप से संपूर्ण निर्धारण कार्यवाही की शक्ति हड़प ली, जिससे AO, जिन्हें भिलाई, दुर्ग में पदस्थ किया गया था, को पूरी तरह से बाहर रखा गया तथा दिल्ली अन्वेषण विभाग ने विभिन्न बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर पुर्ननिर्धारण के बारे में सोचा गया और आदेश दिया गया। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि IT Act की धारा 132A(3) सहपठित धारा 132 (9A) के अनुसार DDIT (Inv.) अध्यपेक्षक अधिकारी था और उसे विहित अवधि 15 दिनों के भीतर AO को मांगे गए दस्तावेज हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी और इसके बाद उसके क्षेत्राधिकार प्रयोग का अधिकार छीन गया था।

(द) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित **सीआईटी बनाम केव्ही कृष्णास्वामी नायडू** [6] में दिये गये निर्णय का संदर्भ लेते हुए यह भी व्यक्त किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी निदेशक (अन्वेषण), आयकर अधिकारी नहीं था बल्कि वह केवल तलाशी एवं जप्ती करने तक ही सीमित था, जो धारा 132 की उपधारा (5) के तहत् आदेश पारित कर सकता था और जप्त किए गए दस्तावेजों को 15 दिनों से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता था। वह उपधारा (8) के तहत् दस्तावेजों को 180 दिनों से अधिक समय तक अपने पास रखने का प्रस्ताव नहीं दे सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि दस्तावेजों का केवल एक भाग 20/03/1995 को AO को भेजा गया था, यद्यपि यह 07/02/1995 को प्राप्त हुआ था, उक्तानुसार 15 दिनों की वैधानिक अवधि बीत चुकी थी। उन्होंने यह दर्शित किया कि DDIT (Inv.) ने IT Act की धारा 132 (9A) के तहत विहित 15 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त होने से काफी बाद CBI से धारा 132 A के तहत् मांगे गए दस्तावेज को अग्रेषित किया तथा वह भी दस्तावेज का केवल एक हिस्सा ही अग्रेषित किया गया था और DDIT (Inv.) जांच के मामले में शामिल हो गया, जिसको कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

(इ) विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि 06/06/1995 से दिसम्बर 1995 तक की अवधि के दौरान अन्वेषण विभाग दिल्ली ने AO को पूर्ण रूप से बाहर रखते हुये संपूर्ण निर्धारण कार्यवाही पर अवैध रूप से अधिकारिता का प्रयोग जारी रखा। उन्होंने व्यक्त किया कि जैसा कि ITAT के आदेश में परिलक्षित हुआ है AO निर्धारण कार्यवाही में शामिल नहीं था बल्कि अन्वेषण विभाग दिल्ली द्वारा नियंत्रित था।

---

6 (2001) 9 SCC 767

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने व्यक्त किया कि 05/02/1996 से 16/04/1996 तक की अवधि का AO के समक्ष निर्धारण कार्यवाही का अभिलेख मांगा गया था और उसे प्रस्तुत किया गया था तथा आदेश पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निर्धारण कार्यवाही के प्रत्येक प्रक्रम पर AO को दिल्ली स्थित अन्वेषण विभाग से निर्देश/अनुदेश प्राप्त हुए थे। यहां तक कि स्थगन की मंजूरी हेतु भी निर्देश मांगा गया था। इसके अलावा AO द्वारा CIT जबलपुर, जो AO का प्रशासनिक प्रमुख है, को संबोधित करते हुए दिनांक 30/01/1996 को लिखे गये पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली स्थित अन्वेषण एजेंसी के निर्देश पर प्रतिपरीक्षण की भी अनुमति नहीं दी गई थी, उक्तानुसार AO पूरी तरह से उच्च अधिकारियों के निर्देशों के तहत काम कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(फ) विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि दिनांक 20/03/1995 के पत्र से दर्शित होता है कि अन्वेषण विभाग दिल्ली द्वारा चुनिंदा कागजात भेजे गए थे, इसलिए AO द्वारा उक्त दस्तावेजों की प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता के बारे में स्वतंत्र रूप से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने व्यक्त किया कि CIT (A) के निर्देश पर मामले को दुबारा खोला गया और यहां तक कि कारण भी निर्मित किए गए तथा जैसा कि ITAT के आदेश से स्पष्ट है कि AO ने मामले को दुबारा खोलने के लिये कोई राय नहीं बनाई थी तथा पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया था, उक्त तथ्य नोटशीट के अवलोकन से दर्शित होता है।

(ग) विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि IT Act *(जैसा की उस समय प्रचलित था)* की धारा 153 (A) के अनुसार पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था और वर्तमान मामले में निर्धारण वर्ष 1988 से 1992–93 तक लगातार अवधि हेतु धारा 148 के तहत नोटिस 30/03/1995 को जारी किया गया था, इसलिए मार्च 1997 के पश्चात् आगे निर्धारण की कार्यवाही वर्जित हो जाएगी। इसलिए आज की तारीख में यह न्यायालय नए सिरे से पुर्ननिर्धारण का आदेश देकर समय–सीमा के प्रतिबंध को नहीं हटा सकता है, उन्होंने व्यक्त किया कि अधिकरण द्वारा पुर्ननिर्धारण की शुरूआत को वैध मानना विरोधाभाषी है, क्योंकि पुर्ननिर्धारण की मूल शुरूआत ही कानून की दृष्टि से अनुचित थी, इसलिए राजस्व की ओर से इस त्रुटि का निवारण नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार विवाद्यक संख्या 03 का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ह) अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत **विनीत नारायण (उपरोक्त), सिरपुर पेपर मिल लिमिटेड बनाम संपत्ति कर आयुक्त आंध्रप्रदेश [7], द परतापपुर कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार के गन्ना आयुक्त और अन्य [8], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह [9], राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य और अन्य बनाम संजीव बिट्टू [10], जवाहर लाल बनाम सक्षम प्राधिकारी, रेंज, नई दिल्ली[11], शिव नारायण जायसवाल बनाम आईटीओ [12], यशवंत टॉकीज बनाम सीआईटी [13], सीआईटी बनाम**

———————————

7 (1970) 1 SCC 795 : (1970) 77 ITR 6
8 AIR 1970 SC 1896
9 (1989) 2 SCC 505
10 AIR 2005 SC 2080
11 137 ITR 605 (Del)
12 ITO 176 ITR 352
13 157 ITR 103

टी आर राजकुमारी[14], **राजपुताना माइनिंग एजेंसियां बनाम आईटीओ**[15] **तथा राजेश झावेरी स्टॉक ब्रोकर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम एसीआईटी**[16] पेश कर उक्त मामलों में अवधारित विधिक सिद्धांतों का अवलंब लिया है।

7. हमने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. यह निर्धारण वर्ष 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 का था। आयकर विवरणी निर्धारिती द्वारा दाखिल किया गया था और राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा उपरोक्त वर्षों के लिए IT Act की धारा 143 (1)(a) के तहत सूचना जारी की गई थी। CBI द्वारा 03/05/1991 को नई दिल्ली स्थित जे.के. जैन के आवासीय परिसर में एक अलग तलाशी और जप्ती अभियान चलाया गया, जो मेसर्स बी.ई.सी. इम्पेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी था, जिसमें एस.के. जैन निदेशक थे। CBI द्वारा कुछ लूज शीट एवं डायरी जप्त कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित AO ने निर्धारण वर्ष 1988–89 से 1992–93 के लिए दिनांक 30/03/1995 के नोटिस द्वारा धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की। IT Act की धारा 148 के तहत जारी किये गये नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा आपत्ति के साथ 06/06/1995 को नया विवरणी दाखिल किया गया था। जैसा कि तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किये गये हैं, 06/06/1995 से दिसंबर 1995 के दौरान दिल्ली स्थित अन्वेषण विभाग ने निर्धारिती और अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया तथा उनके बयान दर्ज किये थे, जिससे दर्शित होता है कि उनके पास वे दस्तावेज थे, जो CBI द्वारा साझा किये गये थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

14 96 ITR 78
15 118 ITR 585
16 284 ITR 593

9. मामला शुरूआत से ही पुनर्निर्धारण आदेश पर आधारित है, इसलिए विधिक प्रश्न, जो निर्धारिती के कहने पर तैयार किया गया है, पूरे मामले के संबंध में सारवान प्रभाव डालेगा। इसलिए हम सबसे पहले इस बात पर विचार करेंगे कि प्रारंभिक पुनर्निर्धारण की कार्यवाही उचित थी अथवा नहीं। जैसा कि 1988–89 से 1992–93 तक के लिए किये गये प्रारंभिक निर्धारण से स्पष्ट है कि सभी कार्यवाहियों को निष्क्रिय अवस्था में स्वीकार कर लिया गया था। पुनर्निर्धारण की कार्यवाही तब शुरू हुई, जब CBI ने निर्धारिती के परिसर में नहीं बल्कि अन्य लोगों के परिसर में तलाशी ली और जे.के. जैन नामक व्यक्ति के यहां से कुछ दस्तावेज बरामद हुए। इससे आपराधिक मामलों में जांच और आरोप पत्र दाखिल करने में मदद मिली। CBI द्वारा तलाशी और जप्ती के दौरान जप्त किये गये कुछ दस्तावेज बाद में दिल्ली आयकर विभाग को सौंप दिये गये। राजस्व ने दस्तावेज प्राप्त करने के बाद उस समय पुनर्निर्धारण के बारे में सोचा। क्या AO, जो नई दिल्ली में न होकर भिलाई में था, ने पुनर्निर्धारण के लिए स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया ? ITAT ने अपने आदेश में जिस पत्राचार का उल्लेख किया है, उससे दर्शित होता है कि सरकारी एजेंसियों को यह लग रहा था कि धन की हेराफेरी हो रही थी, जिसके कारण आपराधिक मामले सामने आए। ये सभी मामले जस के तस बने रहे और आयकर विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पत्रकार विनीत नारायण ने एक जनहित याचिका दायर की जिसके बाद मामले ने फिर तूल पकड़ लिया और सारे मुद्दे सामने आ गए।

10. इसके बाद दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के संबंध में अपराधशीलता और लोगों की संलिप्तता के पूरे मुद्दे को चुनौती दी गई तथा उन पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय लिया गया। ऐसे ही एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम वी.सी. शुक्ला एवं अन्य**[17] के मामले में माना कि अभियोजन पक्ष जैनों को उकसाने के आरोप को साबित करना चाहता था। जबकि ऐसे मामले में जैनों द्वारा अपराध करने का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में इसका संदर्भ प्रासंगिक है, क्योंकि सभी तथ्यों का केंद्र बिंदु MR 71/91 वाली डायरी की ओर जाता है जिस पर विचार–विमर्श किया गया था। उक्तानुसार राजस्व द्वारा व्यक्त इस कथन पर कोई पूर्वाग्रहयुक्त धारणा नहीं किया जा सकता कि आपराधिक कार्यवाही में परिलक्षित धनराशि निर्धारिती के हाथों में आयी थी, जिसे निर्धारण में नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार की धनराशि प्राप्ति को स्वतंत्र रूप से साबित करना आवश्यक था। यद्यपि हम ऐसे तथ्यों पर विचार–विमर्श करने के लिए तत्पर नहीं हैं, किन्तु इनके बीच संबंध या अंतर को समझने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा, ताकि AO की मानसिकता का इस बिंदू पर परीक्षण किया जा सके कि क्या उक्त पुनर्निर्धारण आदेश भिलाई के AO द्वारा स्वतंत्र रूप से पारित किया गया था अथवा दिल्ली स्थित आयकर के अन्वेषण विभाग का इस पर कोई प्रभाव था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उच्चतम न्यायालय ने **विनीत नारायण (उपरोक्त)** मामले में इसी विषय पर पैरा 3 एवं 04 में अधोनुसार दोहराया हैः–

> 3) वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां यह संकेत देती है कि यह अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है कि इस मामले की इस न्यायालय द्वारा गहनता से जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी एजेंसियां, जिन्हें विधि के अनुसार अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने का कर्तव्य सौंपा गया है, संविधान में निहित समानता की अवधारणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए ऐसा करे तथा विधि के शासन का मूल सिद्धांत है कि, "आप चाहे कितने भी उंचे क्यों न हों, विधि आपसे उपर है।" प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध लगाए गए हर आरोप की जांच उचित आधार पर की जानी चाहिए,

17 (1998) 3 SCC 410

चाहे उस व्यक्ति की स्थिति और हैसियत कुछ भी हो। सरकारी एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

4) इस कार्यवाही में हमारा सरोकार आरोपों के गुण–दोष या कथित रूप से संलिप्त व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि हमारा सरोकार केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्येक मामले में निष्पक्ष, उचित और पूर्ण जांच करने तथा विधि के अनुसार तार्किक रूप से अंतिम कार्यवाही करने के विधिक कर्तव्य के निर्वहन से है।

12. उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उपरोक्त सिद्धांतों के पठन से यह स्पष्ट है कि आरोपों के गुण–दोष से प्राधिकारियों को लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि सरकारी एजेंसिंयों पर यह वैधानिक दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रत्येक आरोप की निष्पक्ष, उचित और पूर्ण जांच किया जाना चाहिए तथा अंतिम कार्यवाही विधि अनुसार एवं तार्किक आधार पर होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. IT Act की धारा 132A(3) में यह प्रावधानित किया गया है कि जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं, वहां धारा 132 की उपधारा (4A) से उपधारा (14) तक (इन दोनों के सहित) और धारा 132 B के उपबंध यावत्शक्य, इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा में धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित की गई हैं, और मानो पूर्वोक्त उपधारा (4 क) से उपधारा (14) तक में से किसी के अंतर्गत आने वाले ''प्राधिकृत अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''अध्यपेक्षक अधिकारी'' शब्द रखे गए हैं।

14. IT Act की धारा 132 (9A)के प्रावधान अनुसार जहां प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट व्यक्ति *यथा निर्धारती* पर कोई अधिकारिता नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी अभिगृहीत वस्तुओं को उस व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी तारीख से, जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, 15 दिवस *(जैसा की उस समय प्रचलित था)* के भीतर सौंप देगा।

15. स्पष्टता के लिए IT Act की धारा 132 (9A) के प्रावधान *(जैसा की उस समय प्रचलित था)* अधोनुसार उद्धृत है–

> (9 क) जहां प्राधिकृत अधिकारी को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकारिता नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उस उपधारा के अधीन अभिगृहीत लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई आस्तियां, उस व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी तारीख से, जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर सौंप देगा और तदुपरि उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस मामले में निश्चित रूप से अन्वेषण अधिकारी, जिसने सामग्री जप्त किया था व जिसके आधार पर पुर्ननिर्धारण किया गया था, ने पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर भिलाई के AO के साथ साझा नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा **के.व्ही. कृष्णास्वामी नायडू** (उपरोक्त) के मामले में अवधारित किया गया है कि–

> पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (9–ए) के प्रावधानों के आलोक में, हम *के.व्ही. कृष्णास्वामी नायडू एण्ड कंपनी बनाम CIT [(1987) 166 ITR 244 (Mad)]* के रूप

में रिपोर्ट किए गए उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं कि निरीक्षण सहायक निदेशक, जो तलाशी औरजप्ती करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी था, परंतु ऐसा आयकर अधिकारी नहीं था, जो धारा 132 की उपधारा (5) के तहत आदेश पारित कर सके, तो जप्त दस्तावेजों इत्यादि को 15 दिनों से अधिक समय तक वह अपने पास नहीं रख सकता था और इसलिए, वह उपधारा (8) के तहत् दस्तावेजों को 180 दिनों से अधिक समय तक रखने का प्रस्ताव नहीं दे सकता। तदनुसार, यह अपील व्यय के साथ खारिज की जाती है।

17. जैसा कि आदेश में दर्शित है, दस्तावेजों का एक हिस्सा AO को 20/03/1995 को भेजा गया था, हालांकि यह उनके द्वारा 07/02/1995 को प्राप्त किया गया था, अर्थात पन्द्रह दिनों की वैधानिक अवधि के बाद भेजा गया तथा धारा 132 A के तहत् CBI से मांगे गए दस्तावेजों को DDIT (Inv.) ने धारा 132 (9A) के तहत् विहित 15 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के काफी बाद भेजा और दस्तावेजों का एक हिस्सा ही भेजा गया था, इसलिए कार्यवाही की शुरूआत पूरी तरह से DDIT (Inv.) के नियंत्रण में होना परिलक्षित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रति आपत्ति के आधार पर इस न्यायालय द्वारा 17/09/2014 को सारवान विधिक प्रश्न तैयार किया गया है कि– क्या न्यायाधिकरण ने की IT Act की धारा 147/148 के अंतर्गत पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने को बरकरार रखते हुए विधिक त्रुटि की है ?

19. ITAT के आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि ITAT के समक्ष सुनवाई के दौरान पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही शुरू करने की तारीख से पहले AO और DDIT (Inv.) नई दिल्ली व CIT जबलपुर, जो भिलाई के AO के प्रशासनिक नियंत्रक थे, सहित उच्च प्राधिकारी के बीच हुए पत्राचार को मंगाया गया था। उक्त कार्यवाही निर्धारिती को उपलबध नहीं कराई गई,

क्योंकि इसे गोपनीय बताया गया था, यद्यपि जब ITAT के समक्ष पत्राचार रखा गया तो निर्धारिती को उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी गई।

20. अभिलेख तथा आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि AO द्वारा DDIT (Inv.) नई दिल्ली से प्राप्त दस्तावेज, जिनमें जे.के. जैन से जप्त दस्तावेज, CBI की रिपोर्ट, ADIT नई दिल्ली की मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल है, निर्धारिती को उपलब्ध नहीं कराई गई थी तथा ITAT के आदेशानुसार विभाग ने लिखित में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के साथ उक्त संपूर्ण सामग्री की प्रतियां प्रस्तुत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ITAT द्वारा यह विचार करते समय कि क्या AO ने स्वतंत्र रूप से अथवा अपने वरिष्ठों के आदेश पर या निर्देश/अनुदेश पर कार्य किया, निश्चित तौर पर यह तथ्य संबंधित प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय ने ***सिरपुर पेपर मिल लिमिटेड*** (उपरोक्त) के मामले में संपत्ति कर अधिनियम की धारा 25 (अधिनियम की धारा 264 के अनुरूप) पर विचार करते हुए संपत्ति कर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि संपत्ति कर आयुक्त ने केन्द्रीय बोर्ड से निर्देश मांगे थे। न्यायालय ने माना कि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 25 के तहत् प्रदत्त शक्ति प्रशासनिक शक्ति नहीं बल्कि अर्ध न्यायिक शक्ति है और केन्द्रीय बोर्ड ऐसी अर्ध न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में CWT को निर्देश नहीं दे सकता। ***सिरपुर पेपर मिल लिमिटेड*** (उपरोक्त) में न्यायालय ने पैराग्राफ 4, 11 एवं 12 में अधोनुसार अवधारित किया गया है–

> 4) संपत्ति कर अधिनियम की धारा 25 में निम्नलिखित प्रावधान है :
>
> "(1) आयुक्त स्वप्रेरणा पर या निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन

> किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा, जिसमें उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, और ऐसी जांच कर सकेगा, या ऐसी जांच करवा सकेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के प्रतिकूल आदेश न होने वाला ऐसा आदेश उस पर पारित कर सकेगा जैसा आयुक्त ठीक समझता है।

X X X X

धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रशासनिक नहीं है, यह अर्ध न्यायिक है। "ऐसी जांच कर सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है" यह अभिव्यक्ति आयुक्त को कोई पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आयुक्त को निष्पक्ष विवेक का प्रयोग करना होगा, पीड़ित पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना होगा, तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निर्णय करना होगा। वह अपने निर्णय को ऐसे मामलों से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकता, जो निर्धारिती के समक्ष प्रकट नहीं किए गए है, न ही किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश से। संपत्ति कर अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित सभी अधिकारी और अन्य व्यक्ति बोर्ड के आदेशों, अनुदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे। ये अनुदेश प्रशासनिक मामलों में विभाग के अधिकारियों की शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते है, परंतु अर्ध न्यायिक मामलों में नहीं। धारा 13 का प्रावधान अर्थान्वयन में कुछ अस्पष्ट है। यह अधिनियमित करता है कि बोर्ड द्वारा कोई भी ऐसा आदेश, अनुदेश या निर्देश नहीं दिया जाएगा, जिससे संपत्ति कर अपीलीय सहायक आयुक्त को अपने अपीलीय कार्यो के प्रयोग में उसके विवेक में हस्तक्षेप हो। तथापि, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बोर्ड संपत्ति कर अधिकारी या आयुक्त को उसके अर्ध न्यायिक कार्य के निष्पादन में कोई निर्देश या अनुदेश दे सकता है। इस प्रकार की व्याख्या स्पष्ट रूप से अधिनियम की योजना और अर्ध न्यायिक शक्ति से संपन्न प्राधिकारियों को प्रदान की गई शक्ति की प्रकृति के विपरीत होगी।

X X X X

(11) संपत्ति कर आयुक्त द्वारा बनाए गए केस शीट में की गई किसी भी अन्य प्रविष्टि का संदर्भ देना अनावश्यक है । कार्यवाही की शुरूआत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से ही संपत्ति कर आयुक्त ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के साथ संपर्क बनाए रखा और उस प्राधिकरण से निर्देश मांगे कि उनके समक्ष दाखिल पुनरीक्षण आवेदनों पर किस प्रकार निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। आयुक्त ने यह भी लेख किया है कि मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी, परंतु चूंकि कंपनी के निदेशक ने साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत अनुरोध किया था, इसलिए ''लोकहित के दृष्किोण से साक्षात्कार देना वांछनीय समझा गया।'' यहां भी आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और सीमा को गलत ढंग से समझा।

(12) इन अपीलों में संपत्ति कर आयुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस आक्षेपित आदेश का समर्थन करने का प्रयास नहीं किया है। हम आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते है और निर्देश देते है कि पुनरीक्षण आवेदनों की सुनवाई और निपटान विधि के अनुसार किया जाए तथा...........राजस्व बोर्ड द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या निर्देशों से अप्रभावित हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. न्यायालय ने आदेश को खारिज करते हुए यह अवधारित किया कि संपत्ति कर आयुक्त ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से संपर्क किया था तथा उससे निर्देश मांगे थे कि उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदनों पर किस प्रकार निर्णय लिया जाना चाहिए, तद्नुसार उन्होंने कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया था। मामले में अपनाई गई ऐसी प्रकिया को अच्छा नहीं कहा गया। न्यायालय ने अवधारित किया कि अर्ध न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए वह अपने निर्णय को किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश से भी, ऐसे मामलों से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकता जो निर्धारिती के समक्ष प्रकट नहीं किए गए हैं।

23. हस्तगत मामले में विवाद्यक निर्धारण से संबंधित है, इसलिए इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या पुर्ननिर्धारण उचित रूप से जारी किया गया था और क्या उसे उचित रूप से आगे बढ़ाया गया था।

24. ITAT ने अपने विस्तृत आदेश में दिल्ली, जबलपुर और भिलाई स्थित राजस्व कार्यालय के बीच किए गए विभिन्न पत्रों/संचारों को विचार में लिया है। ऐसा ही एक पत्र दिनांक 20/03/1995 का है, जो DDIT (Inv.) द्वारा श्री के.एम. वर्मा, आयकर उपायुक्त, स्पेशल रेंज, भिलाई को लिखा गया था। पत्र की विषयवस्तु अधोनुसार उद्धृत है–

To Dt.: 20.03.95

Mr. K.M. Verma, Deputy Commissioner of Income Tax, Special Range, Bhilai, Madhya Pradesh.

Sir,

Sub:- Search operation by CBI against Shri J.K.Jain & others regarding.

Please find enclosed herewith photo copies of documents. A set of such documents was sent to CIT, Jabalpur on 1.3.95 vide this office letter No.DIT(Inv.) /U.I./DLH/95-96/1407. Same set of documents are being sent to you for consideration along with photo copies of the letter referred above and addressed to the CIT, Jabalpur. In this only relevant copies of statement of accused as per set X are being sent to you. Others being not presently material are not sent. This set would therefore contain statement of Shri.J.K.Jain, S.K.Jain, B.R.Jain and N.K.Jain.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

As per discussion held with CIT, Jabalpur, you are requested to kindly initiate re assessment proceedings under the income tax and gift tax proceedings against Shri S.K.Jain, B.R.Jain, BECO or any other relevant persons for the relevant assessment years. For this purpose you may kindly go through the report of the CBI set out in Set IX identify the person in whose hands the proceedings under I.T. and G.T. Act had to be initiated, specify years where such income/gift would be taxable and work out reasons for reopening the assessment. You are also requested to please identify the items of root payments from the seized material which can be referred to regular books of account of BECO or other sister concerns of BECO so that quantum of receipt/payment can be cross checked and accordingly the seized material can be correctly deciphered. If considered necessary, matter can be discussed with the undersigned. We are also working out the case and we sent you copy of the investigation report at the earliest possible time.

25. ITAT ने अपने आदेश में उन दस्तावेजों का भी विवरण दिया है जो उक्त पत्र के साथ संलग्न थे। उल्लेखनीय है कि ये वहीं देस्तावेज है जो 01/03/95 को DDIT (Inv.) द्वारा CIT जबलपुर को भेजे गए थे। दस्तावेजों का सेट अधोनुसार था–

i) सेट - I - मासिक प्राप्ति एवं भुगतान, पेज 1 – 32.

ii) सेट - II - फर्म और अन्य मद में हुए व्यय के विवरण, पेज 1-30.

iii) सेट- III - शीर्षक MR - 69/91 के रूप में, पेज 1-8, जो डायरी में खाता का सारांश दर्शित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv) सेट- IV - शीर्षक MR - 70/91 के रूप में, पेज 1-30, जो डायरी में खाता का सारांश दर्शित है।

v) सेट - V - शीर्षक MR - 72/91 के रूप में, भुगतान से संबंधित विवरण दर्शित है, 51 पेज।

vi) सेट - VI - शीर्षक MR - 73/91 के रूप में, 50 पेज।

vii) सेट- VII - शीर्षक MR - 67/91 के रूप में, 11 पेज, जिसमें BECO एस.के. जैन के खाताबही परिलक्षित है।

viii) सेट- VIII - श्री एस.के. जैन द्वारा बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत याचिका की प्रति 12 पेज।

ix) सेट - IX - CBI से प्राप्त रिपोर्ट 117 पेज।

x) सेट - X - CBI द्वारा लेखबद्ध आरोपी का कथन 258 पेज।

xi) सेट - XI - CBI द्वारा लिये गये गवाहों के कथन 125 पेज।

xii) सेट - XII - DDIT Unit - I द्वारा DI को रिपोर्ट, जो कुछ दस्तावेजों के मूल्यांकन से संबंधित है 18 पेज।

26. दिनांक 20/03/95 का उपरोक्त पत्र AO को 24/03/95 को प्राप्त हुआ। 29/03/95 को AO ने DDIT (Inv.) को पत्र लिखकर सूचित किया कि कुछ पृष्ठ गायब है, जो विचार हेतु प्रासंगिक हो सकत हैं। AO ने 30/03/1995 को निर्धारण पुनः खोलने के कारण दर्ज किया है। ITAT ने कार्यवाही का अभिलेख भी दिया है। 24/03/1995 से लेकर 05/04/1995 तक, जब AO ने दस्तावेज प्राप्त किए थे, की प्रविष्टियां प्रासंगिक है। यह आकलन करना भी आवश्यक होगा कि क्या स्वतंत्र विवेक का अनुप्रयोग किया गया थाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>24.3.95 :</u>

शाम 05:00 बजे कूरियर सेवा (Ryp) से जप्त सामग्री, बयान और रिपोर्ट (CBI) की छायाप्रति प्राप्त हुई।

<u>27.3.95:</u>

श्री पी.सी. छोतरी, DDIT (Inv.) दिल्ली से फोन आया, उन्होंने उन व्यक्तियों के मामले की जांच/पुनः खोलने के मामले में नवीनतम प्रगति जानना चाहा, जिनके मामलों से जप्त सामग्री संबंधित है। उन्हें अवगत कराया गया कि दिल्ली से पत्र संख्या F.No.DDIT/Inv/U-I/T. W/DLH/95- 96/1464 dated 20.3.95. के द्वारा इस कार्यालय को सामग्री/रिपार्ट इत्यादि दिनांक 24/03/95 को शाम 05:00 बजे प्राप्त हुई है। हमारे द्वारा पुष्टि की जा रही है। DDIT की DC को दी गई अनुमोदन रिपोर्ट में सेट संख्या XII का अवलोकन किया गया तथा सुझाव अनुसार प्रकरण पुनः खोले जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। हमारी रिपोर्ट माननीय निपटान आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके मामलें माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28.3.95:

दिल्ली के D.G. श्री जी.पी.गर्ग का फोन आया। उन्होंने मामले के..............(अपठनीय) पहलू से अवगत कराया। यथा (a) श्री एस.के. जैन, बी.आर. जैन एवं BEC के निर्धारण को पुनः खोला जाना, (b) निपटान आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ....(अपठनीय) जिसमें तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया हो तथा (c) सप्ताह के अंत तक CCIT भोपाल के माध्यम से CBDT को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

28.3.95:

CIT जबलपुर से फोन आया, जिसने श्री जी.पी. गर्ग, D.G. दिल्ली के साथ उनकी हुई बातचीत की जानकारी दी, उन्हें की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया है। उन्होंने अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

30.3.95:

विभिन्न D. Taxes के तहत् नोटिस जारी करने हेतु IT/WT/GT Act की धारा 148(2), 17(1) एवं 16(1) के तहत् विस्तृत कारण दर्ज किए गए।

5.4.95:

CIT/DDIT (Inv.) से श्री डी.सी. अग्रवाल के दौरे की सूचना देते हुए फोन आया। श्री अभय दांबले, CIT द्वारा सूचित किया गया कि मामले में CIT द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) ------------ (अपठनीय) को प्रस्तुत किया जाना है तथा उक्त रिपोर्ट CIT को प्रस्तुत की जानी है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्यवाही दर्शाई जावेः

(अ) मामलों को खोलना–कारणों का पता लगाना ;

(ब) CBI की ओर से जप्त महत्वपूर्ण अभिलेख के दस्तावेजों के आधार पर, निपटान आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। बी.आर. जैन को समन जारी किया गया।

27. दिनांक 20/03/95 का उपरोक्त पत्र, जो DDIT (Inv.) द्वारा श्री के.एम. वर्मा, आयकर आयुक्त (AO) को लिखा गया था, में निर्विवाद तौर पर उन्हें पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया था। हमारे विचार में इस पत्र के शब्दों से

स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि DDIT (Inv.) ने अधीक्षण की अपनी सामान्य शक्ति का अतिक्रमण किया और AO के विवेक को प्रभावित किया है।

28. AO ने स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है, इसकी पुष्टि आदेश के अभिलेखों से होती है, जिससे दर्शित होता है कि जब AO निर्णय ले रहा था, तब दिल्ली और जबलपुर में बैठे अधिकारी लगातार इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे।

29. ***पंचम चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*** [18] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उस स्थिति पर विचार किया है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तरवादी को परमिट देने और आगे की कार्यवाही करने के लिए परिवहन आयुक्त को दो बार सूचित किया था और कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण है और वह केवल विधि के अनुसार ही कार्य कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 19 में अधोनुसार अवधारित किया है :

> 19 इस तथ्य के अलावा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है, जिससे यह पता चले कि मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अपनी अधिकारिक हैसियत से भी परिवहन के मामले को निपटाने का अधिकार था, उन्हें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं था। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय होने के नाते इसके प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्य करने के लिए बाध्य है। वह उसे प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं कर सकता। एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते समय उसे अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। वह उन्हें उपेक्षित या अनदेखा नहीं कर सकता।

30. इस मामले में न्यायालय ने माना कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी को भी वैधानिक प्राधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप

---

18 (2008) 7 SCC 117

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण भी केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब मामला उसके समक्ष निर्णय के लिए आता है। पैरा 22 में उच्चतम न्यायालय ने अधोनुसार अवधारित किया है :

> 22 व्यक्तिगत आवेदक को परमिट देने के मामले में राज्य का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, वैधानिक प्राधिकरण के अलावा मुख्यमंत्री या अन्य प्राधिकारी परमिट देने के लिए आवेदन पर विचार नहीं कर सकता और न ही उस पर कोई आदेश जारी कर सकता है। यहां तक कि अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्राधिकारी, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी भी शामिल है, कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता, सिवाय तब जब मामला विधि के अंतर्गत उसके समक्ष आया हो।

31. उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से यह माना है कि वैधानिक प्राधिकरण के कामकाज में अवांछित हस्तक्षेप संवैधानिक योजना का उल्लंघन है। न्यायालय ने पैरा 20 में अधोनुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 20 जैसा कि पहले बताया गया है, तथ्यात्मक मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चौथे प्रतिवादी ने सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री का आदेश एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रेषित किया। प्रतिवादी क्रमांक 02 ने इस पर कार्यवाही की। इसमें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिवादी क्रमांक 04 से इस संबंध में उचित आवेदन प्राप्त करने के बाद आगे कार्यवाही की सलाह दी गई। इससे यह दर्शित होता है कि इससे पहले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था। किसी भी प्राधिकारी द्वारा, जिसे अधिनियम कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है, ऐसा हस्तक्षेप विधिक रूप से पूर्णतः अनुचित है। यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप करता है। यदि परमिट दिया जाता है तो यह एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है। आवेदक को इसे अर्जित करना पड़ेगा।

32. हमारे जैसे लोकतंत्र में प्रत्येक प्राधिकारी को, चाहे वह कितना भी उंचा क्यों न हो, केवल विधि के दायरे में रहकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि विधि के शासन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की सभी संस्थाएं विधि के नियमों के अनुरूप कार्य करे। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में विधि के शासन को व्यक्ति के शासन बनने से बचाया जाए।

33. भारत के संविधान का मूल सिद्धांत 'विधि का शासन' है। 'विधि का शासन' यह आवश्यक बनाता है कि शासन विधि के दायरे में रहकर किया जाए तथा प्रत्येक वैधानिक प्राधिकारी को कानून के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संविधान यह अपेक्षा करता है कि 'विधि का शासन' व्यक्तियों के शासन से उपर रखा जाए। व्यक्तियों का शासन उस मनमाने राजनीतिक अधिकार को संदर्भित करता है जो कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके विपरीत, 'विधि का शासन' यह सुनिश्चित करता है कि समाज में स्पष्ट, न्यायसंगत एवं स्थायी कानून लागू किये जाएं। जहां 'विधि का शासन' का अभाव होता है, वहां 'जिसकी लाठी उसकी भैंस'' जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में कमजोर लोगों के अधिकार सबसे अधिक संकट में पड़ जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. अमेरिका के संस्थापक पिता माने जाने वाले थॉमस पेन ने अपने प्रसिद्ध पैम्फलेट *कॉमन सेंस* में 'विधि को राजा' बनाए जाने की वकालत की। मूल रूप से 1776 में प्रकाशित, यह पैम्फलेट पेन के सिद्धांत को बताता है कि अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता की घोषणा क्यों कर देनी चाहिए। {थॉमस पेन, कॉमन सेंस (1776)}

> ''परन्तु कहां है अमेरिका का राजा ?'' मैं आपको बता दूं मित्र, वह उपर शासन करता है और ब्रिटेन के क्रूर राजा की भांति मानवता का संहार नहीं करता। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सांसारिक सम्मान से वंचित न दिखें, एक दिन को विधिवत इस घोषणा के लिए निश्चित किया जाए, इस चार्टर को लाया जाए और इसे दिव्य विधि (ईश्वर के वचन) पर रखा जाए, इस पर एक मुकुट रखा जाए, जिससे संसार को ज्ञात हो कि यदि हम राजतंत्र को स्वीकार करते भी हैं, तो अमेरिका में 'विधि ही राजा' होगा। क्योंकि निरंकुश शासन में राजा ही कानून होता है, लेकिन स्वतंत्र देशों में विधि राजा होना चाहिए और कोई अन्य नहीं।''

35. उच्चतम न्यायालय ने ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम विष्णु नारायण एण्ड एसोसिएट (प्रा.) लिमिटेड*** [19] के मामले में यह अवधारित किया है कि कोई भी कार्यकारी

---

19 (2002) 4 SCC 134

अधिकारी तभी किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है जब वह अपने कृत्य के समर्थन में किसी विशिष्ट विधिक प्रावधान का उल्लेख कर सके।

> 10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि राज्य अथवा उसके कार्यकारी अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जब तक कि वे किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान का हवाला न दें, जो उनके कृत्य को वैध ठहराए। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बिशनदास बनाम पंजाब राज्य {एआईआर 1961 सु.को. 1570ः (1962) 2 एससीआर 69} में यह अवधारित किया है कि राज्य या उसके कार्यकारी अधिकारियों को कानून अपने हाथ में लेने तथा किसी व्यक्ति को मात्र एक कार्यकारी आदेश द्वारा हटाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया है कि (एससीआर पृष्ठ 80)
>
> > ''इस मामले से पृथक होने के पहले, हम यह कहने को अपना कर्तव्य मानते हैं कि इस ममले में राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा उठाया गया कार्यकारी कदम 'विधि के शासन' के मूल सिद्धांत को नष्ट करने वाला है''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. हालांकि, यह भी उतना ही सत्य है कि जब किसी प्राधिकरण को शक्ति दी जाती है, तो उसका कर्तव्य है कि वह इसका प्रयोग करे और इस नियम का पालन करना न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राजस्व विभाग ने यह तर्क दिया है कि राजस्व विभाग के प्रभावी संचालन के लिए समन्वय, निगरानी और अधीक्षण आवश्यक है। यद्यपि, जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि सामान्य अधीक्षण शक्ति को निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए। जिस प्राधिकरण को विवेकाधिकार सौंपा गया है, उसे उस विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन किसी विशेष तरीके से उसका प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने ***महाराजा धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (उपरोक्त)*** के मामले में मान्यता दी है और इसे पैराग्राफ 55 में इस

प्रकार अवधारित किया है :

55. यह सत्य है कि अनुमति को रद्द करने या निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग अर्ध–न्यायिक प्रकृति का होता है और इस शक्ति का प्रयोग करते समय प्राधिकरण को निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, पीड़ित पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। प्राधिकरण अपने निर्णय को दूसरों के निर्देशों से प्रभावित नहीं होने दे सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके विवेकाधिकार को त्यागने और आत्मसमर्पण करने के समान होगा, तब यह प्राधिकरण का विवेकाधिकार नहीं रहेगा, बल्कि किसी और का विवेकाधिकार बन जाएगा। यदि कोई प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार को किसी अन्य निकाय को सौंप देता है, तो यह उसकी अधिकार सीमा से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार, किसी बाहरी व्यक्ति या निकाय द्वारा किया गया हस्तक्षेप उस शक्ति की प्रकृति के विपरीत होगा, जो उस प्राधिकरण को प्रदान की गई है। डी स्मिथ ने इस स्थिति को इस प्रकार सारांशित किया हैः

> ''न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक सिद्धांतों को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। जिस प्राधिकरण को विवेकाधिकार सौंपा गया है, उसे उस विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन किसी विशेष तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से, विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उसी प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए जिसे यह सौंपा गया है। उस प्राधिकरण को वास्तविक रूप से अपने समक्ष प्रस्तुत मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसे किसी अन्य निकाय के आदेशों के तहत कार्य नहीं करना चाहिए और न ही प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अपने विवेकाधिकार के प्रयोग से खुद को अक्षम करना चाहिए। अपने विवेकाधिकार के कथित प्रयोग में, प्राधिकरण वह कार्य नहीं कर सकता जो उसे करने से मना किया गया है, और न ही वह कार्य कर सकता है जिसे करने की उसे अनुमति नहीं दी गई है। उसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए, सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे उस कानून की भावना या उद्देश्यों के विपरीत किसी उद्देश्य को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसने उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान की है। उसे मनमाने या मनमौजी ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। जहां किसी तथ्य की विद्यमानता को लेकर निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, वहां विवेकाधिकार किसी गलत तथ्यात्मक धारणा के आधार पर वैध रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन सभी सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता हैः विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विफलता और विवेकाधिकार के दुरूपयोग या अतिरेक। हालांकि, ये दोनों वर्ग परस्पर अनन्य नहीं हैं।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने ***सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त)*** के मामले में यह स्पष्ट किया है कि जब सम्पदा आयुक्त ने राजस्व बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए ''अपना निर्णय राजस्व बोर्ड के अधीन कर दिया है''। उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में इस प्रकार प्रकाश डाला है :

> 5. हमारे निर्णय में ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त ने उस अधिकार क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से गलत समझा है, जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपा गया है और उसने अपना निर्णय राजस्व बोर्ड के निर्देशों के अधीन कर दिया है। आयुक्त का आदेश पत्र (मुद्रित पेपर बुक के पृष्ठ 10–36 तक), स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि उसने अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेने के बजाय केवल राजस्व बोर्ड के निर्देशों को लागू किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में गलत निष्कर्ष निकाला कि AO द्वारा पुर्ननिर्धारण के लिए जानकारी प्राप्त करने और कारण दर्ज करने के बीच का समय अंतराल महत्वपूर्ण नहीं था। जबकि वास्तव में, कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया गया था और न ही कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध था। जिसे यह नहीं कहा जा सकता है कि पुर्ननिर्धारण एक स्वतंत्र निर्णय था। ITAT का यह निष्कर्ष निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, जो यह निर्धारित करने के लिए बनाए गए है कि तथ्यों को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। तथ्यों के केवल एक भाग को चुनकर अलग–सलग करना न्यायसंगत नहीं है। पुर्ननिर्धारण के बारे में सोचना शुरू करना, जो गलत पुर्ननिर्धारण प्रक्रिया में समाप्त हुआ, एक सतत प्रक्रिया होगी और इसे एक ही डिब्बे में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मन की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना है। संचार को देखने के बाद यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि AO ने स्वयं पुर्ननिर्धारण करने का निर्णय लिया। जैसा कि शुरू में जब पुर्ननिर्धारण पूरा हो गया था, AO मामले में

चुस्त नहीं था, लेकिन जब दिल्ली से उच्च अधिकारियों के संचार प्राप्त हुए, तो AO ने पुर्ननिर्धारण का निर्णय लिया।

39. वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या दिये गये तथ्यों और परिस्थितियों में एक व्यक्ति अर्थात AO, जो राजस्व का कर्मचारी है, में भी ऐसे निर्देशों की अवहेलना करने की क्षमता थी, इसलिए, साधारण समझ वाला व्यक्ति भी कार्यवाही के अभिलेखों से पक्षपात का अनुमान लगा सकता है। दिनांक 20/03/95 के पत्र को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि AO ने अपने वरिष्ठों के प्रभाव में पुर्ननिर्धारण का आदेश पारित किया था।

40. ***रंजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*** [20] में, उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 17 में अवधारित किया है कि :

> 17. जहां तक पक्षपात की संभावना की परीक्षण का प्रश्न है, तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि प्रभावित पक्ष के मन में इस आंशका की युक्तिसंगतता क्या है, न्यायाधीश के लिए उचित दृष्टिकोण अपने मन को देखना और खुद से ईमानदारी से पूछना नहीं है, ''क्या मैं पक्षपाती हूं ?'' बल्कि सामने वाली पक्ष के मन को देखना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. इसलिए, ITAT ने IT Act की धारा 147/148 के तहत पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने के निर्णय को सही ठहराने में त्रुटि की है। परिणाम स्वरूप, इस प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया जाता है कि निर्धारिती का पुर्ननिर्धारण करने का AO का निर्णय स्वतंत्र नहीं था, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के कारण लिया गया था।

42. अब कानूनी रूप से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं, जिन्हें राजस्व के अनुरोध पर 13/02/2013 को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न पहले ही इस निर्णय के पैराग्राफ 4(ग) में उद्धृत किये जा चुके है।

---

20 (1987) 4 SCC 611

43. निर्धारिती का मुख्य तर्क यह है कि ये सभी आदेश AO द्वारा वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर पारित किये गये थे, जबकि राजस्व के अनुसार, DIT (Inv.) केवल जांच की निगरानी कर रहा था, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था।

44. विधि की स्थिति यह है कि न्यायनिर्णयन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि न्यायनिर्णयनकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए और जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है, उसे न्यायनिर्णयनकर्ता नहीं रहना चाहिए, तभी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सही अर्थों में लागू किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. यह कि, सामान्य विधि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह न्यायनिर्णयन की अनिवार्यता है कि यह सभी पक्षों के लिए न्यायसंगत, तर्कसंगत और निष्पक्ष हो। न्यायनिर्णयन में निष्पक्षता की आवश्यकता न्यायनिर्णयन की उचित प्रक्रिया की अनिवार्यता है। पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने वाला न्यायाधीश संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, लेकिन पक्षपात के विरूद्ध हमारा नियम भी प्राकृतिक न्याय का एक पहलू है, जो कि ***''नेमो जेडेक्स इन सुआ कौसैस''*** (''कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता'') के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत यह भी स्थापित करता है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ***लॉर्ड हेवार्ट, सी.जे. ने आर. बनाम ससेक्स जेजे., पूर्व पी मैककार्थी*** [21] में कहा है कि :

> ''...... यह केवल कुछ महत्व की बात नहीं है बल्कि मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि न्याय न केवल किया जाए, बल्कि स्पष्ट रूप से और संदेह रहित रूप से होते हुए भी दिखे।''

———————————

21 [(1924) 1 KB 256], KB (p. 259)

46. अंगेजी न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत एक प्रसिद्ध मामला ***डाइम्स बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल***[22] था। इस मामले में, लॉर्ड कॉटनहैम ने एक पूर्व मामले की अध्यक्षता की थी, जिसमें एक नहर कंपनी ने एक भूमि मालिक के विरूद्ध इक्विटी में मामला दायर किया था। लॉर्ड चांसलर कॉटनहैम ने कुलपति के आदेश के खिलाफ अपील सुनी और आदेश की पुष्टि की। यह आदेश प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में गया। एक वर्ष बाद, वादी को पता चला कि लॉर्ड चांसलर कॉटनहैम के पास प्रतिवादी कंपनी के शेयर थे। उसने महारानी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की याचना की। अंततः, मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि लॉर्ड कॉटनहैम की न्यायनिर्णयन प्रकिया में भागीदारी उचित नहीं थी। हालांकि लॉर्ड कैंपबेल ने टिप्पणी की :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> '' ...... कोई भी यह नहीं मान सकता कि लॉर्ड कॉटनहैम इस मामलें में अपने स्वार्थ के कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकते थे, लेकिन, मेरे लॉर्ड्स, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, पूरी तरह पवित्र माना जाना चाहिए और यह केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं है, जिसमें वह पक्षकार हो, बल्कि उन मामलों पर भी लागू होता है, जिनमें उनका कोई व्यक्तिगत हित हो।..... यह सभी अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के लिए एक सबक होगा कि वे न केवल इस बात का ध्यान रखें कि उनके निर्णयों में वे अपने व्यक्तिगत हित से प्रभावित न हों, बल्कि ऐसे प्रभाव के तहत काम करने की आभास से बचें।''

47. अंग्रेजी न्यायालयों ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि स्पष्ट पक्षपात की परीक्षा क्या है?, प्रारंभ में, अंग्रेजी न्यायाधीशों ने *'वास्तविक संभावना'* का सूत्र निर्धारित किया और लागू किया, जिसमें यह देखा जाता था कि न्यायालय द्वारा जांचे गए तथ्यों से क्या वास्तव में पक्षपात की संभावना उत्पन्न होती है। यह परीक्षण विशेष रूप से उन मामलों में लागू किया

---

22 (1852) 3 HLC 759 : 10 ER 301

गया, जहां पक्षपात का आरोप दूर की कौड़ी था। अन्य न्यायाधीशों ने 'युक्तियुक्त संदेह' का परीक्षण अपनाया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह उचित रूप से सोच सकता है कि किसी न्यायाधीश को उसके किसी व्यक्तिगत हित के कारण मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, तो उसे न्यायनिर्णयन प्रक्रिया से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि बाद में, अंग्रेजी न्यायालयों में ''वास्तविक खतरे'' का परीक्षण विकसित किया। प्रोफेसर एच.डब्ल्यू.आर. वेड और सी.एफ. फोर्सिथ ने प्रशासनिक कानून,(दसवां संस्करण) पुस्तक में अधोनुसार निष्कर्ष निकाला हैः

> चूंकि मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन का न्यायशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि पक्षपात की उपस्थिति, भले ही कोई वास्तविक पक्षपात न हो, तो भी यह अनुच्छेद 6(1) के उल्लंघन के रूप में निर्णय को कलंकित करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए 'वास्तविक खतरा' परीक्षण, जिसकी व्याख्या पहले उल्लेखित मामले में की गई है, निष्पक्ष निर्णय लेने को सुनिश्चित करने में सम्मलेन और सामान्य कानून के बीच विसंगति पेश करता है। इसके अलावा, इसने इस पवित्र सिद्धांत की अवहेलना की कि ''न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए''। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस विसंगति को पहचानते हुए अब 'वास्तविक खतरे' के परीक्षण में एक मामूली समायोजन किया है तथा सम्मलेन और सामान्य कानून के बीच स्थिरता सुनिश्चित की है। यह मामला एक प्रमुख अधिवक्ता, एक रिकॉर्डर से संबंधित था, जिसे लॉर्ड चांसलन ने रोजगार अपील न्यायाधिकरण में अंशकालिक न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। उन्हें एक EAT के सामने पेश होने के लिए कहा गया था जिसमें वे साधारण सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने पहले उसके साथ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। पक्षपात का परीक्षण यह निर्धारित किया गया था कि '' क्या एक निष्पक्ष और जानकार पर्यवेक्षक, तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालेगा कि न्यायाधिकरण में पक्षपात की वास्तविक संभावना थी?। इस परीक्षण को लागू करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निष्कर्ष निकाला कि यह उचित रूप से संभव था कि एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक यह सोच सकता है कि रिकॉर्डर के तर्क उन साधारण सदस्यों पर, जिनके साथ उसने पहले कार्य किया था, अवचेतन रूप से ही सही, विशेष प्रभाव डाल सकते हैं।

48. भारत में विधि की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, इस संदर्भ में ***एन.के. बाजपेयी बनाम भारत संघ*** [23] में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पठनीय है :

———————————

23 (2012) 4 SCC 653

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. न्यायालयों ने वास्तविक संभावना और युक्तिसंगत संदेह के परीक्षण लागू किए हैं। इन सिद्धांतों पर *एस. पार्थसारथी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* [(1974) 3 SCC 459 : 1973 SCC (L&S) 580] में चर्चा की गई थी। न्यायालय ने पाया कि ''वास्तविक संभावना'' और ''युक्तिसंगत संदेह'' वास्तव में एक दूसरे से असंगत शब्द है और न्यायालय को अपने समक्ष संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारण करना चाहिए कि क्या परिस्थितियों में कोई युक्तिसंगत व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि पक्षपात की वास्तविक संभावना है या नहीं। न्यायालय को मामले की जांच जनमानस के दृष्टिकोण से करनी होगी।

56. ''पक्षपात'' शब्द का प्रयोग निष्पक्ष न्याय की स्थिति से विचलन को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस विधि पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने *पंजाब राज्य बनाम बी.के. खन्ना* [(2001) 2 SCC 330 : 2001 SCC (L&S) 1010] मे अंततः अधोनुसार निर्णय दिया : (SCC p. 339, para 8)

> ''8. इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या केवल पक्षपात की आशंका है या पक्षपात का वास्तविक खतरा है और इसी आधार पर आस–पास की परिस्थितियों का मिलान किया जाना चाहिए और उनसे आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालांकि, यदि निष्कर्ष अन्यथा है कि पक्षपात की वास्तविक खतरा मौजूद है, तो प्रशासनिक कार्यवाही को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि आरोप प्रशासनिक कार्यवाहीं में काल्पनिक आंशका से संबंधित हैं, तो उन्हें अस्थिर या अमान्य घोषित करने का कोई आधार नहीं बनता।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने ***लाल शर्मा बनाम प्रबंधक समिति, डॉ. हरि राम (सहशिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय*** [24] के मामले में अधोनुसार निर्णय दिया है :

> डी स्मिथ ने अपनी पुस्तक, प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा (1980) के पृष्ठ 262 में प्रेक्षित किया है कि पक्षपात की वास्तविक संभावना का अर्थ, पक्षपात की कम से कम पर्याप्त संभावना है। *आर. बनाम सुदरलैंड जस्टिस* [(1901) 2 KB 357, 373] में यह अवधारित किया गया है कि

24 (1993) 4 SCC 10

न्यायालय को मामले का फैसला उसी तरह करना चाहिए, जैसे एक समझदार व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन में किसी भी मामले पर फैसला करेगा। *आर. बनाम ससेक्स जस्टिस* [(1924) 1 KB 256, 259 : 1923 All ER Rep 233] में इस ओर संकेत किया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर कि क्या पक्षपात की वास्तविक संभावना थी, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वास्तव में क्या किया गया था, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि क्या किया जाना प्रतीत हो रहा था। *हेल्सबरी के लॉज ऑफ इंगलैंड* के 4th Edn., Vol. 2, para 551, में इस ओर संकेत किया गया है कि पक्षपात की कसौटी यह है कि क्या सभी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति पक्षपात की गंभीर आशंका महसूस करेगा। इसी सिद्धांत को इस न्यायालय ने मानक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद [1957 SCR 575 : AIR 1957 SC 425] . भी स्वीकार किया है। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि कसौटी यह नहीं है कि वास्तव में पक्षपात में निर्णय को प्रभावित किया है या नहीं; कसौटी हमेशा यह है और होना चाहिए कि क्या एक वादकर्ता निश्चित रूप से आशंका कर सकता है कि न्यायाधिकरण के सदस्य के कारण होने वाला पक्षपात न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय में उसके विरूद्ध संचालित हो सकता है। इसी अर्थ में अक्सर यह कहा जाता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

50. उच्चतम न्यायालय ने ***पी.डी. दिनाकरण (1) बनाम न्यायाधीश जांच समिति*** [25], (2011) 8 SCC 380 के मामले में अवधारित किया है कि :

65. *जी. सरना (डॉ.) बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय* [(1976) 3 SCC 585 : 1976 SCC (L&S) 474] में न्यायालय ने *ए.के. क्राईपाक बनाम भारत संघ* [(1969) 2 SCC 262], *एस. पार्थसारथी बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य* [(1974) 3 SCC 459 : 1973 SCC (L&S) 580] के निर्णयों का उल्लेख किया है और प्रेक्षित किया है। {जी. सरना मामला (1976) 3 SCC 585 : 1976 SCC (L&S) 474] , SCC पृष्ठ 590 पैराग्राफ 11}

''11..........वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि क्या प्रशासनिक बोर्ड का कोई सदस्य अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अर्ध–न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हुए पक्षपाती था, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन की बात साबित करना कठिन है। यह देखना होगा कि क्या यह मानने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार है कि वह पक्षपाती हो सकता था। पक्षपात के प्रश्न का निर्णय करते समय, मानवीय संभावनाओं और माननवीय आचरण के सामान्य क्रम को ध्यान में रखना होगा।''

———————————

25 (2011) 8 SCC 380

51. यद्यपि यह सिद्धांत कि ''कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता'' और ''न्याय न केवल किया जाना चाहिए, अपितु होता हुआ दिखना भी चाहिए'' प्रशासनिक कानून में लागू होने पर एक गंभीर दुविधा की स्थिति होती है, इसका सामान्य कारण यह है कि कभी–कभी कानून के लिए ही एक अधिकारी को दोहरी भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है, एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा एक स्वतंत्र निर्णायक के रूप में। उदाहरण के लिए, आयकर अधिकारी, जबकि वह स्वयं धारा 143 और/या धारा 143(3) के तहत अपनी सूचनाओं के अनुपालन न करने के लिए एक निर्धारिती पर आरोप लगा सकता है तथा निर्धारण के लिए सर्वोत्तम निर्णय कर सकता है, व आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत् जुर्माना भी लगा सकता है। एम.सी. जैन कागजी ने अपनी पुस्तक ''भारतीय प्रशासनिक कानून'' (छठा संस्करण) में उक्त स्थिति को संक्षेप में अधोनुसार बताया है :

> हमारे द्वारा विकसित कानून की प्रणाली में इस नियम पर पूरी कठोरता के साथ जोर दिया गया है कि किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, और इसे विधिक सूत्र ''नेमो डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया सुआ कौसा'' से भी समझा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह होता हुआ दिखना भी चाहिए। फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय के मामले में इसे पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त और संपदाशुल्क के अपीलीय नियंत्रक क्रमशः आयकर और संपदा शुल्क प्राधिकरण हैं, इसके बावजूद वे अर्ध–न्यायिक कार्य करते हैं। आयकर अधिकारी और अपीलीय आयुक्त एक ही विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन बाद वाला पूर्व द्वारा पारित आदेशों की अपील की सुनवाई करता है। *आयकर अधिकारी के मामले में स्थिति और भी खराब है, जबकि वह स्वयं धारा 143 और/या धारा 143(3) के तहत अपनी सूचनाओं के अनुपालन न करने के लिए एक निर्धारिती पर आरोप लगा सकता है तथा निर्धारण के लिए सर्वोत्तम निर्णय कर सकता है, यहां तक कि आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगा सकता है। वर्ष 1939 तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हुई थी, और*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आयकर आयुक्त अपीलों की सुनवाई करते थे, जबकि वे विभागीय कार्यवाही में भी एक पक्ष थे। 1960 तक, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास भी उन सभी मामलों में, जिनमें 01 जुलाई, 1960 से पहले मृत्यु हुई थी, संपदा शुल्क नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध, संपदा शुल्क मामलों में अपीलों की सुनवाई करने की शक्ति थी। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अपीलीय कार्यों की, जो कि नियंत्रक संपदा शुल्क प्राधिकरण भी था, कराधान जांच आयोग द्वारा आलोचना की गई थी, हालांकि, कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई थी।

आयोग ने यह विचार किया कि अपीलीय सहायक आयुक्त को अपने अपीलीय कार्यों में बोर्ड के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और बाद वाला उसे कोई आदेश, निर्देश या दिशा नहीं देगा, संबंधी जो प्रावधान निर्धारित किये गये हैं पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि उससे विभाग का हिस्सा होने की मजबूरी से उबरने की उम्मीद नहीं की जा सकती, इस कारण पदोन्नति के लिए उसे बोर्ड पर निर्भर रहना होगा। आयोग ने आगे व्यक्त किया है कि :–

> हमें लगता है कि 1939 में शुरू किये गये प्रयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और अपीलीय सहायक आयुक्तों को आयुक्तों तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के नियंत्रण से हटा दिया जाना चाहिए। उनकी छुट्टी, स्थानांतरण और पदस्थापना न्यायाधिकरण के हाथों में होनी चाहिए।
>
> यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि, अमेरिकी प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत, ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी–जनरल की समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग को निर्णायक एजेंसियों से अलग करने की दिशा में एक प्रगति की गई है। APA की धारा 5(c) में अधोनुसार प्रावधानित है कि
>
> > ....कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या प्रतिनिधि जो किसी भी मामले में किसी प्रतिनिधि के लिए जांच या अभियोजन कार्य में संलग्न है, उस मामले में या तथ्यात्मक रूप से संबंधित मामले में, निर्णय में भाग नहीं लेगा या सलाह नहीं देगा........

यह प्रावधान एक ही एजेंसी निकाय के भीतर संरचनात्मक पृथक्करण के बजाय कार्यात्मक पृथक्करण प्रदान करता है, तथा उसके अधीन सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> कार्यों का पृथक्करण प्रारंभिक लाईसेंस देने के लिए आवेदनों के निपटान, दरों की वैधता या प्रयोज्यता के आवेदन की कार्यवाही आदि से संबंधित मामलों में संभव नहीं है। जब एक परिवहन प्राधिकरण बस परिवहन व्यवसाय के लिए लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लेता है, तो वह आरोप तय करता है, और उनकी जांच के आधार पर लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी पारित करता है।

52. श्री कागजी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस तरह के कानून की योजना एक ही एजेंसी निकाय के भीतर संरचनात्मक पृथ्क्करण के बजाय कार्यात्मक पृथक्करण पर जोर देती है। हमारी राय में जब कानून इस तरह के दोहरे कार्य के साथ अधिकार प्रदान करता है, तो न्यायालयों को इस तथ्य के बारे में और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि निर्णय की प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. यह उच्च न्यायालय की एक अधीक्षण शक्ति की तरह है, जो प्रशासनिक पक्ष में कार्य करता है और यदि उच्च न्यायालय न्यायिक निर्णय में भी हस्तक्षेप करता है, यहां तक कि सिविल जज या मजिस्ट्रेट के मामले में भी, तो यह स्पष्ट अवैधता होगी। हालांकि इसके साक्ष्य सीधे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संचार से अनुमानित किया जाना है, यदि कोई हो। वर्तमान मामले में पत्राचार, जिसे अभिलेख पर रखा गया है, ITAT द्वारा उद्धृत किया गया है, इस याचिका के लिए काफी है कि AO, जिसे अधिकार क्षेत्र दिया गया था, पूरी तरह से उच्च अधिकारियों की इच्छा और अभिलाषा के आगे झुक गया।

54. इसलिए, उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, इस बिन्दु पर विधि को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है :

i) वैधानिक प्राधिकारी अपने विनिश्चयों को अपने वरिष्ठ के आदेशों द्वारा प्रभावित होने की अनुज्ञा नहीं दे सकता है, क्योंकि इससे उसके विवेक का त्याग और समर्पण होगा, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है।

ii) अधीक्षण की सामान्य शक्ति को न्याय निर्णयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए। जिस प्राधिकारी में विवेकीय शक्ति निहित है, उसे उस विवेक का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, परंतु किसी विशेष तरीके से प्रयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii) न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया सभी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। पूर्वाग्रह का वास्तविक परीक्षण यह नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या नहीं, बल्कि यह है कि निष्पक्ष और वस्तुस्थिति से अवगत पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से पक्षपात का वास्तविक खतरा है या नहीं।

(एन.के. बाजपेयी मामला)

55. इन सभी प्रश्नों में सामान्य प्रश्न यह है कि क्या AO ने वरिष्ठ प्राधिकारी के आज्ञा/निर्देशों पर पुनर्निर्धारण में अंतिम आदेश पारित किया है। ITAT अपने निर्णय में अभिलेख पर उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि AO ने अपने वरिष्ठों के आज्ञा पर निर्धारिती के खिलाफ आदेश पारित किया है।

56. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि तर्क किया है कि चूंकि जैन डेयरी के संबंध में मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था और

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में कुछ विशिष्ट निर्देश पारित किये हैं, इसलिए दिल्ली और जबलपुर में बैठे अधिकारियों के लिए कार्यवाही की प्रगति पर निगरानी रखना आवश्यक था तथा इसे हस्तक्षेप या आदेशों पर आज्ञा चलाना नहीं कहा जा सकता है।

57. आदेश के सामान्य अवलोकन से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय ने किसी विशेष मामले में कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि उच्चतम न्यायालय का आशय यह था कि उस मुद्दे पर उचित जांच की जाए जिसमें इतने गंभीर आरोप शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

58. यह उल्लेख करना काफी प्रासंगिक है कि निर्धारिती के खिलाफ यह कार्यवाही कैसे की गई है। घटनाओं की श्रृंखला 03/05/91 को शुरू हुई, जब CBI ने जे.के. जैन के परिसर में तलाशी ली। इसके बाद, आयकर विभाग ने IT Act की धारा 132 A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, CBI से जप्त किये गये उक्त दस्तावेजों और सामग्री को आहुत किया। निर्धारिती का निर्धारण भिलाई में किया गया था, इसलिए उक्त सामग्री 20/03/95 को भिलाई में बैठे AO को सौंप दी गई थी।

59. AO ने मामला को पुनः खोलने के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी किया। निर्धारिती द्वारा 06/06/95 को आय का विवरणी दाखिल किया गया था, यद्यपि, AO ने 20/12/95 तक कुछ नहीं किया। 20/12/95 को उप DDIT (Inv.) से कुछ संदेश मिलने पर AO दिल्ली गये। आश्चर्यजनक रूप से, उक्त यात्रा का उद्देश्य मामले पर चर्चा करना था।

60. हम 05/02/96 से उस तारीख तक की कार्यवाही का विवरण उल्लेख करना चाहेंगे, जब AO ने आदेश पारित किया था, जो अधोनुसार है :–

> 5/2/96: वैधानिक नोटिस के जवाब में, श्री जी.सी. जैन, अधिकृत अटॉर्नी उपस्थित हुए और निर्धारिती द्वारा दिनांकित 5/2/96 का एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी सामग्री पर उनसे चर्चा की गई है।
>
> 6/2/96: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (दिल्ली) से एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें इसी कार्यवाही के संबंध में सूचित किया गया है। उन्होंने 'ए' के जवाब की प्रति अवलोकन के लिए फैक्स द्वारा भेजने की इच्छा व्यक्त की, अस्तु उन्हें पत्र क्रमांक F.No. DCIT(Ad...) BHI/reply/95-96 dated 6.2.96. के माध्यम से भेजा गया है।
>
> 6/2/96: श्री डी.सी. अग्रवाल ने टेलीफोन पर उपरोक्त प्राप्ति की पुष्टि की, और मामले में निर्देश दिया कि 'ए' के पत्र का उपयुक्त जवाब उच्च अधिकारियों के अवलोकन के लिए उन्हें भेजा जाए और मामले में सुनवाई का एक और अवसर दिया जाये।
>
> 15/2/96: माननीय CIT जो DG के साथ बैठक के संबंध में दिल्ली गये थे, ने जबलपुर में मुझे निर्देश दिया कि निपटान मामले की रणनीति पर चर्चा के लिए आगे की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आगे के निर्देश न दिये जाएं।
>
> 23/2/96: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT, दिल्ली ने सूचित किया कि मामले में आगे बढ़ना है और यथाशीघ्र निर्धारण तैयार किया जाना है। उन्होंने राय दी कि माननीय CIT जबलपुर द्वारा दिये गये संदेश में कुछ संचार अंतराल प्रतीत होता है।
>
> 27/2/96: माननीय CIT के साथ टेलीफोन पर चर्चा हुई, जिन्होंने यह भी सूचित किया कि IT और WT के लिए निर्धारण पूरा किया जाना है। केवल GT के तहत निर्धारण लंबित रखा जाना है। तदनुसार, श्री डी.सी. अग्रवाल से प्राप्त मसौदा पत्र के आधार पर निर्धारिती के 5/2/96 के पत्र का विस्तृत जवाब CIT/जबलपुर के माध्यम से फैक्स द्वारा जारी किया गया।
>
> 27/2/96: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा श्री एचएल. वड्डादी, ITI को स्पीड पोस्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा रायपुर प्रधान डाकघर में पहुंचाने के लिए सौंपा गया था। सीलबंद लिफाफा में श्री एस.के जैन के पत्र (नोटिस का जवाब) दिनांक 5/2/96 के जवाब और पावती पर्ची है, जिसे विधिवत सील और हस्ताक्षरित किया गया है।

28/2/96: श्री एच.एल. वड्डाडी, ITI ने सूचित किया कि उपरोक्त सीलबंद लिफाफा Addl. DIT, श्री अग्रवाल को स्पीड पोस्ट द्वारा पावती संख्या 5358 दिनांक 28/2/96 से भेजने के लिए प्रधान डाककर को सौंप दिया गया है, जिसे अभिलेख में रखा गया।

29/2/96: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT, दिल्ली ने सूचित किया कि उन्हें शाम 6.00 बजे तक उपरोक्त प्राप्त नहीं हुआ है, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया गया कि डाक की डिलीवरी कल दोपहर 12:00 बजे तक ही हो पाएगी। उन्होंने लिफाफे की सामग्री का एक सेट फैक्स द्वारा भेजने की इच्छा जताई, जिसे उन्हें भेज दिया गया।

1/3/96: श्री डी.सी. अग्रवाल से उनके टेलीफोन नंबर 7527513 पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह केवल उपरोक्त सीलबंद लिफाफे की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए किया गया था। लगभग 04:30 बजे माननीय D.G. श्री जी.पी. गर्ग ने अधोहस्ताक्षरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जो उपरोक्त सामग्री की डिलीवरी और उसके तरीके के बारे में जानना चाहते थे, जिन्हें इस संबंध में तुरंत श्री डी.सी. अग्रवाल से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार टेलीफोन पर संपर्क किया गया तथा दूसरी ओर श्री सी.एल. मीणा, निरीक्षक ने सूचित किया कि उन्होंने संबंधित डाकघर से उक्त सीलबंद लिफाफा प्राप्त कर लिया है, जिन्हें इसे श्री डी.सी. अग्रवाल को उनके आवासीय पते पर पहुंचाने और इस संबंध में माननीय D.G. को भी सूचित करने के लिए कहा गया।

4/3/96: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.) ने टेलीफोन पर सूचित किया कि निर्धारिती को संबोधित पत्र F.No. DCIT(Assmt.)BHI/S- 777/95-96/dated 27.2.96 आज ही सुबह 01:30 बजे निर्धारिती को सौंप दिया गया है और आगे DG के निर्देश से अवगत कराया कि धारा 143(3) सहपठित धारा 147 के तहत निर्धारण आदेश का प्रारूप तैयार किया जाए, यह मानते हुए कि निर्धारिती अपनी आय के आकलन के संबंध में उनकी ओर से अपेक्षित कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा।

8/3/96: श्री जी.सी0. जैन, CA, निर्धारिती के अधिकृत अटॉर्नी उपस्थित हुए और निर्धारिती के दो पत्र दाखिल किये, जो दिनांकित 7/3/96 और 8/3/96 हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इन पत्रों के माध्यम से, निर्धारिती ने अपने मामले में निर्धारण कार्यवाही के संबंध में कुछ विधिक आपत्तियॉ उठाई है और कम से कम एक महीने का समय देने का अनुरोध किया। पत्रों की सामग्री पर श्री जैन के साथ सामान्य चर्चा की गई, जिन्होंने यह भी अनुरोध किया कि पत्रों में दिये गये विस्तृत विधिक तर्कों के लिए निर्धारिती को अनुरोधित समय दिया जाए। श्री जी.सी. जैन ने बताया कि निर्धारिती 24 आपराधिक मामलों में आरोपी था, जिसकी सूची पत्रों के साथ तैयार कर दायर की गई है, साथ ही उन्हें FERA की धारा 8, 9 और 14 के उल्लंघन के कारण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 8 कारण बताओ नोटिस भी दिये गये हैं।

<u>9/3/96</u>: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.) से उनके निवास नंबर पर टेलीफोन पर संपर्क किया गया और 8/3/96 को निर्धारिती द्वारा दायर पत्रों की सामग्री से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इन पत्रों की प्रतियॉ फैक्स द्वारा उन्हें भेजी जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>11/3/96</u>: वांछित अनुसार, निर्धारिती के जवाब की प्रतियां कवरिंग लेटर दिनांक 10/3/96 के साथ फैक्स के माध्यम से निरीक्षण निदेशालय (अन्वेषण) को भेजी गई हैं।

<u>20/3/96</u>: श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.), दिल्ली ने टेलीफोन पर सूचित किया कि निर्धारिती द्वारा 7/3./96 और 8/3/96 को अपने पत्रों में उठाए गये तर्कों के आधार पर मामले को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया है कि अधोहस्ताक्षरी को निर्धारण आदेश मांग नोटिस, चालान आदि के साथ अप्रैल, 96 के पहले सप्ताह में DG (Inv.) के द्वारा चाहे अनुसार निर्धारिती को सौंप दिए जाएं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 अप्रैल 1996 को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। उन्हें समझाया है कि इस रेंज में लंबित अन्य समय बाधित निर्धारण को देखते हुए, उनके द्वारा सुझाए गये अनुसार 25 तारीख से दिल्ली में कैंप करना अधोहस्ताक्षरी के लिए बहुत मुश्किल है।

<u>22/3/96</u>: माननीय CIT, जबलपुर ने टेलीफोन पर निर्देश दिया कि मुझे 28 मार्च, 96 को दिल्ली के लिए रवाना होना है, क्योंकि उन्हें दिल्ली और भोपाल में उच्च अधिकारियों से इस आशय का संदेश मिला है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि मुझे 29 मार्च, 96 को जांच निदेशालय में रिपोर्ट करनी चाहिए।

श्री एस.के. जैन के मामले में अवकाश के दिनों यानी 30/3/96, 31/3/96 और 1/4/96 को निर्धारण आदेशों के प्रारूप का काम पूरा करें, जिन्हें DI, DG और Addl. DIT के मार्गदर्शन में तैयार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे तैयार किये जाने वाले निर्धारण आदेशों को अनुमोदित करेंगे। इस संबंध में CIT जबलपुर ने यह भी निर्देश दिया कि 3 और 4 अप्रैल, 96 को मुम्बई में माननीय निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें पहले उपस्थित होने का निर्णय लिया गया था।

<u>25/3/96:</u> निर्धारिती के अधिकृत अटॉर्नी श्री जी.सी. जैन, CA उपस्थित हुए और निर्धारिती द्वारा दिनांकित 25/3/96 का पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी दोहराया गया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के धीरजलाल गिरधरलाल के मामले में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर आगे अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। इस पत्र की प्रति उसी तारीख के कवरिंग लेटर के साथ श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.), दिल्ली और CIT जबलपुर को फैक्स द्वारा भेजी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>26/3/96:</u> श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.), दिल्ली ने टेलीफोन पर सूचित किया कि उन्हें निर्धारिती का दिनांक 25/3/96 का पत्र प्राप्त हो गया है और उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया कि निर्धारण तैयार किया जाना है, क्योंकि निर्धारिती ने पहले उठाए गए मुद्दों के अलावा कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। यद्यपि, उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारण कार्यवाही को लंबा खिचने के लिए निर्धारिती द्वारा उठाये गये विभिन्न तर्को को लेख किया जाकर उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए समुचित जवाब भेजा जाए।

<u>27/3/96:</u> जैसा कि संसूचित हुआ था, निर्धारिती श्री एस.के. जैन को पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा उनके दिनांक 7/3/96, 8/3/96 और 25/3/96 के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। पत्र के पैरा–3 में उन्हें सूचित किया गया है कि वे दिल्ली में श्री वी.बी. गुप्ता की विशेष अदालत से अनुरोध करके मूल डायरी MR–71/91 का निरीक्षण कर सकते हैं। पत्र की सामग्री को श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.), दिल्ली को उनके वांछित अनुसार टेलीफोन पर पढ़कर भी सुनाया गया है।

<u>4/4/96:</u> निर्धारिती ने पत्र दिनांकित 2/4/96 प्रस्तुत किया, जिसमें मोटे तौर पर पहले प्रस्तुत किए गए पत्रों अर्थात 7, 8 और 25 मार्च 96 की सामग्री को दोहराया गया है।

8/4/96: माननीय DI/DG, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

16/4/96: धारा 143(3) सहपठित धारा 147 के तहत आदेश पारित किया गया। आदेश की प्रति D.N. & Ch. इत्यादि के साथ श्री डी.सी. अग्रवाल को निर्धारिती पर तामील कराने के लिए सौंप दी गई है।

61. कार्यवाही के अभिलेखों से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि AO प्रत्येक सुनवाई पर निर्देश ले रहा था और उसे स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जा रहे थे।

62. 30/01/96 को आयुक्त आयकर, केन्द्रीय राजस्व भवन, नैपियर टाउन जबलपुर को लिखे गये पत्र में और भी दिलचस्प विवरण दिया गया है, जिसे यहां उद्धृत किया जा रहा है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति,

आयुक्त आयकर,
केन्द्रीय राजस्व भवन, नैपियर टाउन,
जबलपुर (म.प्र.)।

ध्यान दें: श्री अभय डामले, एसीआईटी (मुख्यालय)।

महोदय,

विषयः— श्री एस.के. जैन के मामले में माननीय CIT द्वारा आयकर, धनकर और उपहार कर के तहत निर्धारण की निगरानी। 22 दिसंबर, 1995 को माननीय DG (Inv.), दिल्ली के साथ मीटिंग का विचार विमर्श—रिपोर्ट के संबंध में।

जांच निदेशालय, दिल्ली के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित और श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.) के माध्यम से अवगत कराए जाने के अनुसार, मैं Addl. DIT (Inv.) द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई जब्त सामग्री और अन्य दस्तावेजों को लेने के संबंध में 21 दिसंबर, 95 से 29 दिसंबर, 95 तक निदेशालय में था। 21 दिसंबर, 95 को दोपहर 3:30 बजे श्री डी.सी. अग्रवाल के साथ DIT के साथ श्री एस.के. जैन के मामले पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग हुआ, जिसमें DIT ने मुझे Addl. DIT (Inv.) के पास उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने का निर्देश दिया। श्री एस.के. जैन और बीईसी लिमिटेड आदि से संबंधित मामलों को

पृथक करें और उनकी फोटो प्रतियां लें। यह 21 और 22 दिसंबर, 1995 को किया गया।

22 दिसंबर, 1995 को शाम 4:30 बजे से 7:00 बजे तक माननीय DG (Inv.) के साथ एक और मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें श्री पी. के. कश्यप, DIT (Inv.), श्री डी.सी. अग्रवाल, Addl. DIT (Inv.), दिल्ली श्री पी.सी. छोतारी, अतिरिक्त निदेशक और मैंने भाग लिया। जैन समूह के मामलों में रणनीति पर मीटिंग के दौरान चर्चा की गई, जिसमें CBI, FERA आदि जैसी अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय को ध्यान में रखा गया। चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल उपहार–कर अधिनियम के तहत शुरू किये गये मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे CBI के मामले कमजोर हो जाएंगे, जहां उन्होंने जैन और अन्य नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि आयकर और धन–कर के तहत मामलों, विशेष रूप से श्री एस.के. जैन के मामलों को, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आलोक में, जो अक्सर होती रहती है, तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए, AO को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) और 143(2) और धन–कर अधिनियम, 1957 की धारा 16(2) के तहत विस्तृत प्रश्नावली के साथ वैधनिक नोटिस तैयार करने और DIT/DG द्वारा अनुमोदित कराने के बाद, श्री एस.के. जैन को दिल्ली में पखवाड़े का समय देते हुए तामील कराने की आवश्यकता थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नोटिस तैयार करने का प्रारंभिक कार्य निदेशालय में ही पूरा किया गया, जहां शामिल विभिन्न मुद्दों और जांच किए गये मामलों को विस्तृत रूप से शामिल किया गया, जिसमें इस तथ्य को स्थापित करने के विस्तृत कारण भी शामिल थे कि डायरी और संबद्ध दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े 'लाखों' के कोड में थे। पश्नावली के कच्चे मसौदे को DIT (Inv.), द्वारा देखा गया, जिन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित निर्धारिती को दिल्ली के Addl. DIT (Inv.) द्वारा जारी नोटिस में शामिल तथ्यों और कारणों को दोहराते हुए सभी निर्धारण वर्षों के लिए प्रश्नावली अलग–अलग तैयार की जानी चाहिए। दिल्ली से लौटने के बाद, उक्त कार्य किया गया और आयकर और धनकर दोनो के तहत नोटिस तैयार किये गये तथा 8.1.96 और 9.1.96 और DIT को प्रस्तुत किये गए, ताकि 10/1/96 को या उससे पहले तामील की जा सके, जिस तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए तिथि नियत किया था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) और 143(2) के तहत निर्धारण वर्ष 1988–89 से 92–93 तक के लिए जारी किये गए नोटिस विस्तृत प्रश्नावली के

साथ थे। प्रश्नावली के साथ–साथ वैधानिक नोटिस धारा 16(2) के तहत विस्तृत प्रश्नावली के अलावा धन–कर अधिनियम, 1957 के तहत भी माननीय निपटान आयोग को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई पेपर बुक में रखी गई है, जिसकी एक प्रति आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है।

वर्तमान में, आयकर और धन–कर दोनो के तहत मामले की सुनवाई 5 फरवरी, 1996 को नियत की गई है। माननीय DG के साथ मीटिंग में यह बात सामने आई है कि इन निर्धारणों को यथासंभव फरवरी 1996 के अंत तक शीघ्रता से पूरा किया जाना आवश्यक है। हालांकि, यह इन नोटिसों के प्रति निर्धारिती की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्तमान में विभिन्न गवाहों के साक्ष्य के रूप में एकत्र किए गये साक्ष्यों का उपयोग AO द्वारा मीटिंग में तय किये गये अनुसार किया जाता है, लेकिन यदि निर्धारिती जिरह की मांग करता है, तो उक्त कवायद यहां भी की जानी आवश्यक होगी, जिससे कार्यवाही में और देरी होने की संभावना है। (हमारे द्वारा रेखांकित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले में आगे की प्रगति की समय–समय पर सूचना दी जाएगी और निर्धारण कार्यवाही समाप्त होने पर, CIT की स्वीकृति के लिए आदेश का प्रारूप प्रस्तुत किये जाएंगे।

भवदीय,
के.एम.वर्मा
उपायुक्त आयकर (सहायक)
विशेष रेंज, भिलाई।

63. उपरोक्त पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रश्नावली भी उनके वरिष्ठों के निर्देश पर तैयार की गई थी और इसे पुष्टि के लिए दिल्ली भी भेजा गया था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि, AO अपने वरिष्ठों से किस हद तक निर्देश ले रहा था और स्तवंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

64. एक अन्य पत्र दिनांकित 10.03.96 है जो AO द्वारा DDIT (Inv.), नई दिल्ली को संबोधित किया गया है जो अधोनुसार हैः–

प्रति,
श्री डी.सी. अग्रवाल, आईआरएस,
अतिरिक्त निदेशक आयकर (अन्वेषण), झंडेवाला
एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

विषयः— आयकर और धन कर अधिनियमों के तहत जारी नोटिसों के जवाब में निर्धारिती के उत्तर को अग्रेषित करने विषयक।

महोदय,

आपके साथ कल 9 मार्च, 1996 को उपर्युक्त मामले पर हुई टेलीफोनिक वार्ता के संबंध में और आपके द्वारा वांछित रूप में, मैं निर्धारिती के 8.3.1996 को इस कार्यालय के पत्र F.No.DCIT(Assmt)/BHI/S-777/95-96 दिनांक 27.2.1996 के जवाब में दाखिल किए गए उत्तर की प्रतियां अग्रेषित कर रहा हूं।

2. हमेशा की तरह, मैं आयकर के लिए निर्धारण वर्ष 1992—93 और धनकर के तहत निर्धारण वर्ष 1991—92 के लिए उत्तरों की प्रतियों का नमूना अग्रेषित कर रहा हूं क्योंकि शेष उत्तर बिल्कुल उसी तर्ज पर हैं। निर्धारिती ने प्रत्येक मामले में दो पत्र दाखिल किये हैं, एक 7 मार्च 1996 को और दूसरा 8 मार्च 1996 को। दोनो पत्रों की सामग्री मूल रूप से समान प्रकृति के हैं, सिवाय कुछ जगहों पर कुछ परिवर्तनों के साथ। 07 मार्च 1996 के पत्र में निर्धारिती के दृष्टिकोण को सामान्य रूप से बताया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के स्थगन की मांग करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है। 8 मार्च, 96 के पत्र में इसमें उद्धृत अधिकारियों के आधार पर कुछ विशिष्ट कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं। इस पत्र में एक महीने के समय के स्थगन की मांग के लिए निम्नलिखित तीन बिंदु उठाए गए हैं :—

निर्धारिती को उन मूल दस्तावेजों की प्रतिलिपि दी जाए या उन तक पहुंच की अनुमति दी जाए जिनके आधार निर्धारण प्रस्तावित है,

निर्धारिती ने विभिन्न गवाहों से जिरह करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिनके साक्ष्य पर निर्धारण करने के मामले में निष्कर्ष निकाले गए हैं,

निर्धारिती द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि आपराधिक मामलों को, जिनका वह जवाब में संलग्न सूची के अनुसार सामना कर रहा है, सिविल कार्यवाही यानी IT और WT के तहत निर्धारण कार्यवाही पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मैं उच्च अधिकारियों यानी DIT/DG (Inv.) से मामले में मूल्यवान मार्गदर्शन का अनुरोध करता हूं ताकि निर्धारण आदेश में किसी भी कानूनी दुर्बलता का उचित ध्यान रखा जा सके।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने आदेश का मूल ढांचा तैयार कर लिया है, जिसे निर्धारिती द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी तर्कों को पूरा करने के बाद उनके उपरोक्त संदर्भित उत्तर के आधार पर ही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार मेरी राय है कि निर्धारिती को एक और अवसर दिया जा सकता है और उनके द्वारा अनुरोधित मामले को एक महीने के लिए स्थगित करके आपकी ओर सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसे कृपया अपने स्तर पर शीघ्रता से किया जाए।'' (हमारे द्वारा रेखांकित)

भवदीय,
(के.एम. वर्मा)
उपायुक्त आईटी,
(सहायक) विशेष रेंज, भिलाई।

65. उक्त पत्र में AO ने स्पष्ट रूप से लेख किया है कि यद्यपि उन्होंने ''आदेश का प्रारूप'' तैयार कर लिया है, किन्तु वे ''उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि निर्धारण में विधिक अनियमितताओं पर ध्यान रखा जा सके,'' ये वाक्यांश बताते हैं कि AO कितनी दूर तक स्वतंत्र रूप से और खुले विवेक से कार्यवाही कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. माननीय न्यायाधिकरण ने घटनाओं की श्रृंखला का विस्तृत विवरण उल्लेख किया है, जिसमें विभिन्न उदाहरण है कि दिल्ली और जबलपुर में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन कार्यवाहियों को कैसे प्रभावित किया गया ।

67. AO के समक्ष कार्यवाही तब दूषित हो गई, जब वह मामले के गुण–दोष पर या जिस तरीके से उसे कार्यवाही करनी चाहिए, उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने समान परिस्थितियों वाले मामले ***सीआईटी बनाम ग्रीनवर्ल्ड कॉर्पोरेशन*** [26] में अधोनुसार अवधारित किया है –

> 53. अब हम ''नोटिंग'' के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी की नोटिंग विशिष्ट थी। यह उच्च अधिकारियों के कहने पर कार्यवाही पत्रक में व्यक्त था। CBDT द्वारा जारी परिपत्र पत्र के संदर्भ में इस पर कोई संदेह नहीं है कि आयुक्त या उस मामले के लिए कोई अन्य उच्च अधिकारी में पर्यवेक्षी अधिकारिता हो सकता है,

---

26 (2006) 7 SCC 69

> किन्तु यह कल्पना करना मुश्किल है कि निर्णय के गुण–दोष पर चर्चा की जाए और वह उस उच्च प्राधिकारी के कहने पर दिया जाए, जो कि एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण हो। यह कहना एक बात है कि निर्धारण के आदेश देते समय निर्धारण अधिकारी CBDT द्वारा जारी वैधानिक परिपत्रों से बंधा रहेगा, किन्तु यह कहना दूसरी बात है कि अधिनियम में निहित योजना को ध्यान में रखते हुए अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला निर्धारण प्राधिकरण निर्धारण का स्वतंत्र आदेश पारित करने की अपनी स्वतंत्रता खो देगा।

68. AO का कर्तव्य है कि वह न्यायिक और स्वतंत्र रूप से कार्य करे तथा उसके निर्णय को उच्च प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने ***आरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम युनियम ऑफ इंडिया*** [27] में अधोनुसार अवधारित किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 5. विद्वान अटॉर्नी–जनरल के अनुसार, निर्धारण कार्यवाही न तो अर्ध न्यायिक प्रकृति की है और न ही निर्धारण प्राधिकरण एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण है, हम उससे सहमत होने में असमर्थ हैं। उपरोक्त संदर्भित निर्णय और इस न्यायालय द्वारा विभिन्न कर कानूनों के संबंध में दिए गए अनेक निर्णयों से स्पष्ट है कि निर्धारण प्राधिकरण अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हैं और उन पर न्यायिक और स्वतंत्र तरीके से कार्य करने का कर्तव्य है। यदि उनका निर्णय कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशोंद्वारा नियंत्रित होता है, तो इसे किसी भी अर्थ में उनका स्वतंत्र निर्णय नहीं कहा जा सकता है। फिर तो कलेक्टर के पास अपील एकमात्र औपचारिकता हो जाएगी। इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय में उपर उल्लेखित अपील और पुनरीक्षण को कलेक्टर और केन्द्र सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि प्रश्नगत दस्तावेज को एक विशेष वर्गीकरण से संबंधित माना जाए। इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि बोर्ड द्वारा दिया गया निर्देश अमान्य था और इसने कलेक्टर के साथ–साथ सरकार के समक्ष कार्यवाही को दूषित कर दिया। इसी प्रकार,वर्तमान अपील में कलेक्टर द्वारा दिया गया निर्देश अमान्य था

---

27 (1970) 3 SCC 76

और उप अधीक्षक अथवा सहायक कलेक्टर के समक्ष की कार्यवाही दूषित थी। यह स्थिति सभी अपीलों के बारे में होगी, यद्यपि दस्तावेज की प्रकृति और गुणवत्ता भिन्न हो। केन्द्र सरकार ने प्रत्येक मामले में केवल कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की और कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार लगाए गए शुल्क को बरकार रखने के लिए कोई स्वतंत्र कारण नहीं दिया।

69. दिल्ली एवं जबलपुर में बैठे अधिकारियों ने आदेश में भी हस्तक्षेप किया है, विशेष रूप से निर्धारिती द्वारा उठाए गए आधारों से निपटने के लिए AO द्वारा मार्गदर्शन भी मांगा गया है। ***रे सॅयर और ओंटारियो रसिंग कमीशन*** [28] में न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के लिए उस न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए कारण लिखना अनुचित है, जिसने किसी व्यक्ति को अपने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है और जिसने उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। वह भी तब, जब अधिवक्ता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई है और न्यायाधिकरण ने अधिवक्ता के प्रारूप के कारणों को केवल उचित रूप से विचार के बाद ग्रहण किया हो। इस तरह की प्रथा प्राकृतिक न्याय से इंकार करने के समान है, क्योंकि इससे पक्षपात का सदेंह उत्पन्न होता है।

70. इस प्रकार, न्यायधिकरण ने सही निष्कर्ष निकाला है कि AO ने दिल्ली एवं जबलपुर में बैठे उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुनर्निधारण का आदेश पारित किया है।

71. एक बार यह मानने के बाद कि पुर्ननिर्धारण उच्च अधिकारियों के आदेश पर शुरू हुआ और उसके बाद, पुर्ननिर्धारण प्रक्रिया के दौरान भी लगातार निर्देश दिये गए और यहां तक कि AO ने भी निर्देश प्राप्त किये, इसलिए, अंतिम परिणाम वही होगा जो पूर्वाग्रह मौजूद होगा। पुर्ननिर्धारण का निर्णय

---

28 99 DLR (3d) 561 (Onterio Curt of Appeal)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तत्पश्चात् यदि उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुर्ननिर्धारण किया जाता है तो आदेश स्वयं पक्षपात का परिणाम होगा और मूल क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी उन्हें आवरण के तहत बचाने में सक्षम नहीं होंगे। तथ्यों के सम्पूर्ण भाग को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और मामलों की सम्पूर्ण स्थिति को समग्र रूप से माना जाना चाहिए।

72. अब, अगला प्रश्न यह आता है कि क्या न्यायाधिकरण ने पुर्ननिर्धारण कार्यवाही की शुरूआत को बरकार रखते हुए, निर्धारण अधिकारी को नए निर्धारण के लिए मामला वापस न भेजकर विधिक रूप से सही किया था। चूंकि शुरूआत के आदेश को शून्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए विचार के लिए अब यह प्रश्न शेष नहीं रह जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

73. अन्यथा भी न्यायालय कार्यवाही में देरी को माफ नहीं कर सकती है, जो उसके समक्ष नहीं है, क्योंकि धारा 147/143(3) के तहत पुर्ननिर्धारण हेतु समयसीमा निर्धारित है, जो अधिनियम की धारा 153 (जैसा कि तब लागू था) के संदर्भ में 31/03/1997 को समाप्त हो गई थी।

74. उच्चतम न्यायालय ने ***पोपट बहिरू गोवर्धन बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी*** [29] में अधोनुसार अवधारित किया है :

> 16. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब कानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष की कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन न्यायालय के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में विधिक सूत्र "*ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स*" जिसका अर्थ है "कानून कठोर है लेकिन यह कानून है", लागू होता है। यह निरंतर अवधारित किया गया है कि, "असुविधा एक निर्णायक कारक नहीं है"

---

29 (2013) 10 SCC 765

जिस पर किसी कानून की व्याख्या करते समय विचार किया जाना चाहिए। ''एक वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न परिणाम कभी भी बुराई नहीं होता है। न्यायालय के पास उस प्रावधान को अनदेखा करने की शक्ति नहीं है ताकि उसके संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर किया जा सके।'' (देखें *मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम* {एआईआर 1966 सु को 529}, एआईआर पृष्ठ 535, पैरा 14 तथा *रोहिताश कुमार बनाम ओम प्रकाश शर्मा* {(2012) 13 एससीसी 792: एआईआर 2013 सु को 30})

75. उच्चतम न्यायालय ने ***सीआईटी बनाम यू.के. पेंट्स (ओवरसीज) लिमिटेड*** [30] में अधोनुसार अवधारित किया है :

1) अपीलों के इस बैच में, प्रत्येक निर्धारिती के मामले में निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 153-C के तहत थे। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है कि किसी भी मामले में निर्धारिती या तीसरे पक्ष से तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इस मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 153-C के तहत निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिये गये हैं। हालांकि, राजस्व की ओर से पेश हुए श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ASG ने इस न्यायालय द्वारा ***प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल–3 बनाम अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड*** सिविल अपील संख्या 6580/2021 के मामले में हाल के फैसले में की गई टिप्पणियों विशेष रूप से पैराग्राफ 11 और 13 का संदर्भ लेते हुए, यह निवेदन किया है कि राजस्व को अधिनियम की धारा 147/148 के तहत् पुनः निर्धारण कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि उपरोक्त निर्णय में, अधिनियम की धारा 153-A के तहत ब्लॉक अवधि के निर्धारण के मामले में भी राजस्व की पुनः निर्धारण की शक्तियों को सुरक्षित रखा गया है।

2) जैसा कि उपर अवलोकन किया गया है, किसी भी निर्धारिती के मामले में निर्धारिती या तीसरे पक्ष में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली तथा निर्धारण अधिनियम की धारा 153-C के तहत थे, उच्च न्यायालय ने निर्धारण आदेश (आदेशों) को उचित ढंग से अपास्त कर दिया है। इस लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेशों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्तानुसार ये सभी अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

30 2023 SCC OnLine SC 818

> 3) जहां तक, राजस्व की ओर से पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने की प्रार्थना का संबंध है, यदि विधि के तहत अनुज्ञेय हो, तो राजस्व के लिए विधि अनुसार पुर्ननिर्धारण कार्यवाही शुरू किये जाने का विकल्प खुला रहेंगा।

76. उक्तानुसार, विधिक प्रश्न संख्या (iii) निर्धारिती के पक्ष में अवधारित किया जाता है। राजस्व, विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू कर सकता है, यदि यह विधि के तहत अनुज्ञेय हो।

77. परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा दायर सभी अपीलें खारिज की जाती है और निर्धारिती द्वारा दायर क्रॉस–अपीलें स्वीकार की जाती है।

78. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–सही–

(गौतम भादूड़ी)
न्यायाधीश

–सही–

(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश

HEAD NOTE

(1) In democracy like ours every authority may, however high should function within four corners of law because the rule of law requires that all the machinery of state must function according to mandate of statute.

हमारे जैसे लोकतंत्र में सभी उच्च–प्राधिकारियों को विधि द्वारा विहित परिधि में कार्य करना चाहिये, क्योंकि विधि के अनुसार राज्य की सभी संस्थाओं को विधि के नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिये।

(2) Statutory authority cannot permit its decision to be influenced by dictation of superior as same would amount to surrendering of discretion.

वैधानिक प्राधिकारी अपने विनिश्चयों को अपने वरिष्ठ के आदेशों द्वारा प्रभावित होने की अनुज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि यह उसके विवेकाधिकार के हरण के समान होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) General power of superintendence must be distinguished from the interference in the adjudication process.

अधीक्षण की सामान्य शक्ति को न्याय निर्णयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए।

(4) The true test of bias is not whether the judge is actually biased or not, but whether there is a real danger of bias from view point of fair minded and informed observer.

पूर्वाग्रह की वास्तविक परीक्षा यह नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या नहीं, बल्कि यह है कि निष्पक्ष और वस्तुस्थिति से अवगत प्रेक्षक के दृटिकोण से पक्षपात का वास्तविक खतरा है या नहीं।

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur